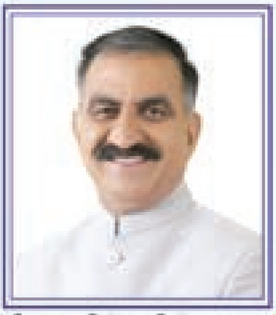

श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
माननीय मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश

श्री मुकेश अग्निहोत्री
माननीय उप-मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश

# वाहन धारकों व चालकों के लिए सड़क सुरक्षा चिन्ह एवं संकेतावली

## सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री
राज्य परिवहन विभाग के ई-वाहन को झण्डी दिखाकर हिमाचल में
'हरित अभियान' का शुभारम्भ करते हुए।

---

माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल को सुरक्षित एवं सुगम बनाने
की दिशा 'सड़क सुरक्षा' में आयोजित परिवहन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

# भूमिका

## हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं एक परिदृष्य

हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का एक प्रमुख पर्वतीय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55673 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की जनसंख्या लगभग 68.65 लाख (2011 जनगणना) है तथा सड़कों की कुल लम्बाई वर्ष 2022–23 के आंकड़ों के मुताबिक 41048 किलोमीटर है।

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सड़क दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में आता है तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को उचित समय पर प्रारंभिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान करना एक जटिल कार्य है। कठिन भौगोलिक स्थिति होने के कारण यदि कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी–नालों व गहरी खाई में गिर जाता है तो उसमें सवार व्यक्तियों की जान बचने की बहुत कम सम्भावनाऐं होती है।

हिमाचल में प्रतिवर्ष औसतन 3000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लगभग 1000 बहुमूल्य जानें जाती हैं तथा 5000 लोग गंभीर व आंशिक रूप से जख्मी होते हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तीव्र गति से वाहन चलाना है, इसके अतिरिक्त खतरनाक तरीके व लापरवाही से वाहन चलाना, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना, गलत तरीके से लेन परिवर्तन करना तथा गलत तरीके से मुड़ना व नशा करके वाहन चलाना है। प्रदेश में लगभग 95 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं मानवीय भूलों के कारण होती हैं तथा प्राकृतिक आपदाओं व अन्य कारणों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या करीब 5 प्रतिशत है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों में सर्वाधिक संख्या मोटर कार/जीप व दोपहिया वाहनों की है।

हिमाचल प्रदेश में कुल 48.44 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे पेश आते हैं जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों की लम्बाई का केवल 6.58 प्रतिशत है। इन सड़कों की दशा प्रदेश में अन्य सड़कों के मुकाबले बेहतर आंकी गई है तथा वाहन चालक इन मार्गो पर तीव्र गति एवं लापरवाही से वाहन चलाते हैं जोकि प्रदेश में होने वाली घातक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बनता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के बाद सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं सम्पर्क मार्गों एवं राज्य मार्गों पर होती है।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में जान गवाने वाले तथा गंभीर एवं आंशिक रूप से घायल होने वाले सर्वाधिक व्यक्तियों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होती है। इस आयु वर्ग के ज्यादातर लोग लाईसेंस धारक होते हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों में 18 से 45 आयु वर्ग के अधिक लोगों के होने का अभिप्राय यह है कि सड़क दुर्घटना की उच्च आर्थिक लागत के साथ–साथ भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत अधिक होता है। क्योंकि हिमाचल में जनसांख्यिक समीकरण में युवा आबादी अधिक है और युवा आबादी अधिक गतिशील होती है इसलिए इनका सड़क दुर्घटना में ज्यादा अनुपात होता है।

हिमाचल प्रदेश में अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं दिन के 3 बजे व शाम 9 बजे के बीच घटित होती है। इन 6 घंटों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण सड़कों पर वाहनों की अधिक संख्या होना तथा तेज रफ्तार एवं लापरवाही से वाहन चलाना है। यह वह समय होता है जब अधिकतर लोग अपने कार्यालयों व व्यावसायिक स्थलों से अपने–अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते हैं तथा शीघ्रता में होने के कारण व मानवीय भूल के कारण सड़क दुर्घटनाएं घटित होती है। कुछ वाहन चालकों द्वारा शाम के समय नशीले पद्वार्थों के सेवन करके वाहन चलाने के कारण भी बहुत सी घातक सड़क दुर्घटनाएं घटित होती है।

हिमाचल प्रदेश में अपार प्राकृतिक सौंदर्य, सुहावना मौसम व प्रसिद्ध शक्तिपीठों के कारण प्रदेश में देश और विदेश के पर्यटकों का साल भर आगमन रहता है। दो करोड़ के करीब सैलानी प्रदेश में घूमने आते हैं। जिसके कारण पहाड़ी मार्गों पर वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ जाती है।

हांलांकि हिमाचल प्रदेश शांत पहाड़ी क्षेत्र तथा देव भूमि होने के कारण यहां के अधिक्तर लोग सभ्य, संवेदनशील एवं कानूनों का पालन करने वाले हैं, तथा दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। परन्तु प्रदेश की कठिन भौगौलिक परिस्थितियों के कारण दुर्घटनाग्रस्त

वाहनों में सवार घायल व्यक्तियों को समय पर समुचित चिकित्सा सहायता मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क दुर्घटना पीड़ित की जान, चिकित्सा सहायता देकर या गुडस्मेरिटन द्वारा गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुचाकर बचाई जा सकती है। परिवहन विभाग द्वारा Good Samaritan (नेक व्यक्ति) बनने का निवेदन किया जा रहा है। गुडस्मेरिटन योजना के प्रति जागरूकता हेतु परिवहन विभाग द्वारा हर पुलिस थाने व अस्पतालों में गुडस्मेरिटन के बोर्ड लगवाएं गए हैं ताकि प्रदेश के लोगों में गुडस्मेरिटन की भावना विकसित हो व उन्हें गुडस्मेरिटन के अधिकारों का ज्ञान हो।

प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां तथा सीमित चिकित्सा सुविधा होने के बावजूद वर्ष–दर–वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखी जा रही है। वर्ष 2016 से 2022 तक सड़क दुर्घटनाओं मे 18 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। इससें सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में 18.80 प्रतिशत की कमी हुई है। जबकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले घायलों की संख्या में 11.60 प्रतिशत की कमी देखी गई है। प्रदेश में वर्ष 2016 से 2022 तक वाहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 में जहां प्रदेश में कुल वाहनों की संख्या 12,37,128 थी व 2022 में बढ़कर 21,06,438 हो गई है। हिमाचल में वाहन घनत्व (Vehicle density) 2022 में 51.31 हो गई है जबकि भारत में 2019 में (Vehicle density) 47 थी, जो की राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इससे यह साबित होता है की हिमाचल प्रदेश में वाहनों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी सड़क हादसों में कमी आई है।

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा उपायों को सही परिपेक्ष में लागू करके सड़क दुर्घटनाओं मे कमी लाने का कार्य किया है। इस कार्य में परिवहन विभाग के इलावा सभी हित धारक विभागों जैसे पुलिस, लोकनिर्माण, शिक्षा, व स्वास्थ्य विभाग एवं समाज के समस्त वर्गों के लोगों की सहभागिता से संभव हो पाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्व है तथा इस दिशा में लगातार प्रयासरत है।

प्रदेश के लोगों एवं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा से संम्बंधित जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों एवं कानूनों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो तथा अन्य सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन समय–समय पर किया जा रहा है।

परिवहन विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा एक अनूठी पहल की गई है जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के पाठयक्रम में सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर पाठ तैयार करके इन कक्षाओं में पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग प्रयासरत है कि कक्षा 11वीं व 12वीं के पाठ्यक्रम में भी सड़क सुरक्षा का अध्याय शामिल किया जाए ताकि युवा शक्ति को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील कर सकें। इससे इस उम्र के चालकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता आएगी व भविष्य में सड़क सुरक्षा कानूनों का पालन करेंगे।

यह पुस्तिका मूल रूप से सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाती है। यह पुस्तिका संभावित ड्राईवरों, ड्राईविंग लाईसेंस के इच्छुक लोगों, पहली बार शुरू करने वाले युवाओं और मौजूदा सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी साबित होगी। यह सड़क उपयोगकर्ताओं को उनकी जागरूकता में सुधार करने व सड़क पर अधिक जिम्मेदार होने में मदद करेगी। अगर सड़क सुरक्षा के प्रति हमें हमारी जिम्मेदारी का अहसास होगा तो समाज ज्यादा सुरक्षित होगा। आईए – हम अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए हाथ मिलाएं।

# विषय सूची


| क्रम सं. | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | सड़क चिन्ह और संकेतों की जानकारी | 1 |
| 2. | आदेशात्मक सड़क चिन्ह | 4 |
| 3. | सचेतक सड़क चिन्ह | 11 |
| 4. | सूचनात्मक सड़क चिन्ह | 22 |
| 5. | सड़क मार्किंग | 28 |
| 6. | सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद गुड–समारिटन कैसे करें? | 30 |
| 7. | सामान्य गलतियाँ सुधारें, ड्राइविंग बेहतर करें | 33 |
| 8. | पैदल यात्री, साइकिल चालक और स्कूल बस के लिए सुरक्षा सुझाव | 34 |
| 9. | कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग | 37 |
| 10. | एक अच्छे वाहन चालक के गुण | 40 |
| 11. | सुनिश्चित करें सड़क पर आप दिखाई दें | 41 |
| 12. | सड़क दुर्घटनाएं : महत्वपूर्ण जानकारी | 42 |
| 13. | सड़क पर आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नियम और विनियम | 45 |
| 14. | मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019–जुर्माने का प्रावधान | 53 |

## अध्याय–1

# सड़क चिन्ह और संकेतों की जानकारी

### सड़क चिन्हों का उद्देश्य:

सड़क चिन्हों का उद्देश्य शहरी और गैर–शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में सभी सड़कों पर सभी सड़क उपयोकताओं के व्यवस्थित संचालन उपलब्ध कराकर सड़क सुरक्षा और कुशलता को संविर्धित करना है। सड़क चिन्ह सड़क उपयोक्ताओं को विनियमों से अवगत कराते हैं और उन्हें सुरक्षित, समरूपी और कुशल प्रचालन के लिए आवश्यक चेतावनी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं।

एक सड़क संकेत को प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें पाँच मौलिक अपेक्षाएं होती हैं:

क) वह आवश्यकता को पूरा करें;

ख) ध्यान आकर्षित करें;

ग) स्पष्ट व साधारण अर्थ वर्णन करें;

घ) सड़क उपयोक्ताओं द्वारा उसका सम्मान हो; और

ड.) उचित प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय दें।

इन पांच मौलिक अपेक्षाओं. को पूरा करने के लिए एक सड़क चिन्ह की कुशलता में अधिकतम बनाने के उद्देश्य से उसके अभिकल्प, स्थापन, प्रचालन, अनुसरण, एकरूपता के पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

### आकार:

आईआरसी : 67–2012 के अनुसार, चिन्ह पट्ट का आकार चिन्ह के प्रकारानुसार अष्ठभुजीय, गोलाकार, त्रिभुजीय या आयाताकार होना चाहिए।

### सड़क चिन्हों का स्थापन और प्रचालन:

आईआरसी : 67–2012 के अनुसार, सड़क चिन्हों का स्थापन सड़क प्रयोक्ता की दृष्टि की सीमा के भीतर होना चाहिए अर्थात उसकी पर्याप्त दृश्यता होनी चाहिए। उपयुक्त अर्थ प्रदर्शित करने के लिए सड़क चिन्ह को उसके मंतव्य के आधार पर स्थल, वस्तु या परिस्थिति के अनुसार उचित स्थान पर स्थापित होना चाहिए। सड़क चिन्ह का स्थान और सुपाठ्यता इस प्रकार होनी चाहिए कि सड़क प्रयोगकर्ता को प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त समय मिल सके।

सड़क चिन्हों और उसके सहायक भागों में किसी प्रकार का विज्ञापन या अन्य संदेश नहीं होना चाहिए जो

यातायात नियंत्रण से संबंधित न हो। तथापि, पर्यटक–सहिष्णु दिशात्मक चिन्ह तथा मार्गस्थ विशिष्ट सेवाओं या सुविधाओं से संबंधित चिन्हों को विज्ञापन नहीं माना जाएगा।

सड़क चिन्हों को एक समान तथा निरंतर रूप में स्थापित व प्रचालित किया जाना चाहिए। आवश्यकता होने के बावजूद चिन्ह को हटाने या उसमें परिवर्तन से इन्कार केवल इस लिए नहीं किया जाना चाहिए कि वह अच्छी स्थिति में है।

### सड़क चिन्हों की समरूपता:

सड़क संकेतों की समरूपता से सड़क प्रयोगकर्ताओं का कार्य आसान हो जाता है क्योंकि इससे उन्हें चिन्हों को पहचानने व उन्हें समझने में मदद मिलती है, और इस प्रकार उनकी समझ/प्रतिक्रिया का समय कम हो जाता है।

### चिन्हों का स्थापन:

सड़क के संकेत सड़क का उपयोग करने वालों, विशेषकर चालकों के लिए संचार के साधन हैं। आईआरसी: 67–2012 सड़क संकेतों के लिए अभ्यास संहिता के अनुसार, संकेतों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि चालक उन्हें आसानी से और समय पर पहचान सकें। आम तौर पर संकेत सड़क के बाईं ओर लगाए जाते हैं। दो लेन वाली सड़कों के लिए, आमतौर पर कैरिजवे के बाईं ओर संकेत लगाए जा सकते हैं। मल्टीलेन विभाजित सड़कों के लिए प्रत्येक कैरिजवे के बाई ओर चिन्ह लगाए जा सकते हैं। पहाड़ी सड़कों के मामले में, संकेत आम तौर पर सड़क के घाटी की तरफ लगाए जाएंगे।

### चिन्हों का अनुस्थापन:

आईआरसी: 67–2012 के अनुसार, सामान्यत: चिन्हों को सामने से आने वाले यातायात की यात्रा रेखा के समकोण पर स्थापित किया जाना चाहिए। बहरहाल, पार्किंग से संबंधित चिन्हों को कैरिजवे से लगभग 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाना चाहिए ताकि चालक को बेहतर दृश्यता प्रदान की जा सके। क्षैतिज मोड़ों पर, चिन्हों को सामान्य रूप से कैरिजवे पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि चिन्ह के स्थापन का कोण सामने से आने वाले यातायात के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। चिन्हों की स्थिति सामान्यत: लम्बवत होनी चाहिए, किन्तु ढलान पर चिन्ह को आवश्यकता अनुसार लम्बवत से आगे या पीछे की ओर झुका होना चाहिए ताकि उसे दृष्टि की सीध में लाया जा सके और दृश्यता के कोण में सुधार हो सके।

### चिन्हों के साईज:

सामान्य नियम के रूप में, अनिवार्य/विनियामक तथा अभिरक्षक/चेतावनी चिन्हों के लिए तीन आकार (छोटा, सामान्य तथा बड़ा) होने चाहिए। मुख्य सड़कों के लिए समान आकार का प्रयोग होना चाहिए और कम महत्वपूर्ण सड़कों के लिए छोटे आकार के चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। शहरी सड़कों तथा एक्सप्रेस–वे के लिए कृपया आईआरसी 67–2012 दस्तावेज का संदर्भ लें। चिन्हों की विभिन्न श्रेणियों के सामान्य आकारों के लिए आईआरसी 67 दस्तावेज का संदर्भ लें।

### चिन्हों की दृश्यता:

रात्रि के समय चिन्हों को अधिक सुदृश्य और सुपाठ्य बनाने के लिए, विशेष रूप से अभिरक्षक/चेतावनीपूर्ण चिन्हों के लिए, निर्मित क्षेत्रों में पार्किंग को विनियमित करने और प्रकाशित सड़कों पर रोकने का संकेत देने वाले चिन्हों को छोड़कर, उनको प्रकाशित बनाया जाना चाहिए या प्रकाशमय पेंट या रिफलैक्टिव उपकरणों या शीटों सहित रिफलैक्टिव सामग्री उपलब्ध करायी जानी चाहिए। यहां इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन सामग्रियों के प्रयोग के कारण सड़क प्रयोगकर्ता चौंधिया न जाएं। (संदर्भ: आईआरसी : 67–2012)

### अक्षरों का आकार:

अक्षरों के आकार का चयन गति, विनिर्देशन और सड़क के स्थल के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि चिन्ह

का आकार सुपाठ्यता के लिए उपयुक्त आकार का हो किन्तु बहुत बड़ा या अवरोधक न हो (संदर्भ: आईआरसी : 67–2012)।

## परिभाषा पट्टिया/अनुपूरक पट्टिया:

परिभाषा पट्टिया की रिट्रो–रिफलैक्टिव सफेद पृष्टभूमि होनी चाहिए और इसमें काले अक्षरों से लिखा होना चाहिए तथा 20 मि.मि. चौड़ा काला बॉर्डर होना चाहिए। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होना चाहिए और भाषायी संदेश अंग्रेजी भाषा और/या आवश्यकतानुसार किसी अन्य भाषा में होना चाहिए। चिन्हों के आकार को बनाए रखने के लिए चिन्ह में प्रयोग होने वाली भाषाओं की संख्या सामान्यत: दो तक सीमित है। (संदर्भ: आईआरसी : 67–2012)

## चिन्हों का संयोजन:

चालकों के समक्ष एक साथ प्रस्तुत होने वाले चिन्हों की संख्या जितनी अधिक होगी, सूचना का प्रसारण उतना ही कठिन होगा। इसलिए आईआरसी के अनुसार सामान्यत: एक स्थल पर दो से अधिक चिन्हों को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, जिनका उद्देश्य सामने से आने वाले वाहन चालकों द्वारा पढ़ा जाना है। यह उन चिन्हों पर भी लागू होता है जो एक ही पोस्ट पर दो अलग स्थानों पर लगाए गए हैं।

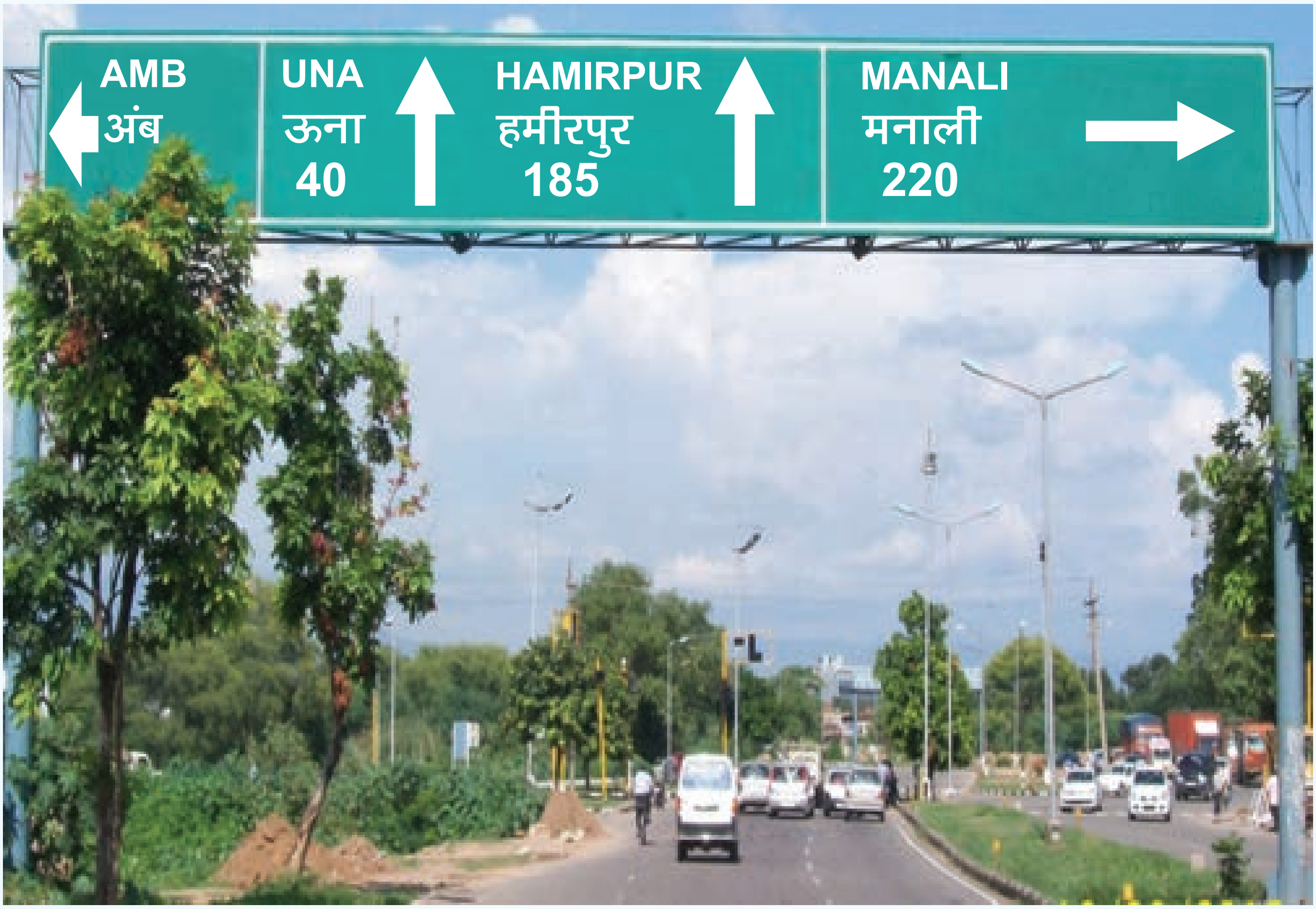

## अध्याय–2

# आदेशात्मक सड़क चिन्ह

निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आम तौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। नीले रंग में भी होते हैं। 'रूकिए' और 'रास्ता दीजिए' के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना या दंड दिया जाता है क्योंकि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

**रुकिए:** यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। यह संकेत उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां एक प्रमुख सड़क में प्रवेश करने से पहले यातायात को रोकना आवश्यक होता है, और जहां यह उद्देश्य है कि वाहन स्टॉप लाइन को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही आगे बढ़ेगा कि इससे मुख्य सड़क पर यातायात को खतरा नहीं होगा।

**बैलगाड़ियों और हाथठेलों का आना मना है:** चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ–ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुँचाते हैं।

**रास्ता दीजिए:** इसका प्रयोग चौराहे पर किया जाता है जहां विशेष लेन अनुशासन का पालन होता है। इस चिन्ह द्वारा वाहन को धीमा करने या आवश्यक होने पर रोकना पड़ता है ताकि परस्पर विरोधी यातायात में हस्तक्षेप से बचा जा सके।

**हाथ ठेलों का आना मना है:** यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात में बाधक बन सकते हैं।

**बैलगाड़ियों का आना मना है:** धीमी गति वाले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं। इसलिए, कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर, उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

**तांगों का आना मना है:** यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर तांगा चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के प्रवाह में बाधक बन सकते हैं।

**घुड़सवारी निषेध:** यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर घुड़सवारी करना मना है क्योंकि ये यातायात के प्रवाह में बाधक बन सकते हैं।

**ट्रकों का आना मना है:** यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर ट्रकों और भारी वाहन का आना मना है क्योंकि ये यातायात के प्रवाह में बाधक बन सकते हैं।

**कारवां की अनुमति नहीं है:** यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर कारवां की अनुमति नहीं है क्योंकि ये यातायात के प्रवाह में बाधक बन सकते हैं।

**ट्रैक्टर का आना मना है:** यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर ट्रैक्टरों का आना मना है क्योंकि ये यातायात के प्रवाह में बाधक बन सकते हैं।

**बस निषेध:** यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बसों का आना मना है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंचती है।

**निर्माण वाहन निषेध:** यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर निर्माण वाहनों की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये धीमी गति से चलने वाले वाहन हैं और चलते यातायात के प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं।

**कार निषेध:** यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर कारों का आना मना है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां कारों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंचती है।

**आर्टिकुलेटेड वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है:** यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर आर्टिकुलेटेड वाहनों की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये धीमी गति से चलने वाले वाहन हैं और चलते यातायात के प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं।

**दुपहिया वाहन निषेधः** दुपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, दुपहिया वाहन चलाने पर रोक है। इसलिए, दुपहिया वाहनों को उन सड़कों पर नहीं चलना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

**एकतरफा रास्ताः** यह चिन्ह दर्शाता है कि हादसों और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए प्रवाह के विपरीत यातायात निषेध है।

**साइकिलों का आना मना हैः** साइकिल–सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक है। इसलिए, साइकिल–सवारों को उन सड़कों पर नहीं चलना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

**बाएं मुड़ना मना हैः** यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े।

**हॉर्न बजाना मना हैः** आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है। वैसे अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं, जहां हॉर्न बजाना पूरी तरह वर्जित है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न न बजाने का निर्देश देता है।

**दाएं मुड़ना मना हैः** यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़ें।

**प्रवेश निषेधः** यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। क्षेत्र के कुछ भागों में यातायात के लिए प्रवेश निषेध किया जाता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश/यातायात निषेध हो सकता है।

**ओवरटेकिंग (आगे निकलना) मना हैः** यह चिन्ह बताता है कि ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। ये आमतौर पर संकरी सड़कों, पुलों, मोड़ों आदि पर लगाए जाते हैं, जहां ओवरटेक करना खतरनाक हो सकता है।

**वापस मुड़ना (यू–टर्न) मना है:** यह चिन्ह बताता है कि यू–टर्न करना प्रतिबंधित है। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों (इंटरसेक्शन) पर यह चिन्ह देखा जा सकता हैं। इन चौराहो पर वापस मुड़ने (यू–टर्न) से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है।

**गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है:** कुछ सड़कों पर यातायात प्रवाह लगातार रहता है। वहां किसी एक वाहन के भी रूक जाने और खड़े होने से पूरा प्रवाह बाधित होता है। यहाँ 'गाड़ी रोकना और खड़ा करना मना है' के चिन्ह लगाए जाते हैं।

**दाएं मुड़ना और यू–टर्न निषेध:** यह चिन्ह ड्राइवर को ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़कों पर राइट टर्न और यू टर्न लेने से रोकता है।

**वाहन पार्क करना मना है:** बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को पार्क करने को मना करता है। इस क्षेत्र में पार्क किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक/ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है।

**आने वाले यातायात को प्राथमिकता:** यह चिन्ह दर्शाता है कि एक दिशा में आने वाले वाहन जब तक आते रहेंगे, आप उस दिशा में नहीं जा सकते हैं। जब उस मार्ग पर कोई वाहन नहीं आ रहा हो, तभी आप जा सकते हैं।

**एक्सल भार सीमा:** आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाते है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। चिन्ह में भार सीमा 4 टन है, यानि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन ही इस पुल से गुजर सकते हैं।

**वाहन खड़ा करना मना है:** बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को मना करता है।

**ऊंचाई सीमा:** कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं। अप्रिय घटना से बचने के लिए वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है, जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का सख्ती से पालन करना चाहिए।

**लंबाई सीमा:** सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

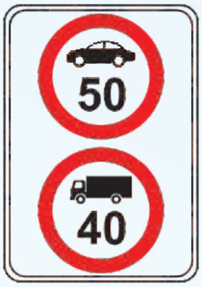


**अधिकतम गति सीमा (वाहन का प्रकार):** यह चिन्ह सड़क पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करता है। दंडात्मक कार्यवाही और दुर्घटनाओं से बचने के लिए चिन्ह में दर्शाये गए वाहनों को निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए।

**भार सीमा:** यह चिन्ह उन वाहनों की भार सीमा दर्शाता है, जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह दिखाता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन आगे नहीं जा सकता।

**रोक समाप्ति चिन्ह:** यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह/चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिन्दु के पार वैध नहीं है। लेकिन, ड्राइवरों को सचेत बने रहना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए।

**चौड़ाई सीमा:** यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे आगे के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

**आगे चलना अनिवार्य (केवल आगे):** यह चिन्ह यातायात को सीधे आगे बढ़ने का निर्देश देता है।

**अधिकतम गति सीमा:** यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित कर सड़क पर लगे चिन्ह में दर्शाता है। दंडात्मक कार्यवाही और दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करें।

**आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य:** यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है।

**आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य:** यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है।

**बाएं रहकर चलना अनिवार्य:** यह चिन्ह निर्देश देता है कि ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं।

**दाएं मुड़ना अनिवार्य:** यह चिन्ह यातायात को दाहिनी ओर मुड़ने का निर्देश देता है।

**दाएं रहकर चलना अनिवार्य:** यह चिन्ह निर्देश देता है कि ड्राइवर दाएं रहकर गाड़ी चलाएं।

**बाएं मुड़ना अनिवार्य:** यह चिन्ह यातायात को बायीं ओर मुड़ने का निर्देश देता है।

**न्यूनतम गति सीमा:** यह साइन दिखाता है कि सड़क पर वाहनों को निर्दिष्ट न्यूनतम गति रखनी चाहिए।

**आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य (जंक्शन से पहले):** यह चिन्ह ड्राइवर को जंक्शन से पहले सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है।

**अनिवार्य साइकिल मार्ग/केवल साइकिल:** यह चिन्ह बताता है कि यह साइकिल चालकों के लिए अनिवार्य साइकिल ट्रैक है। यह ट्रैक पर साइकिल को छोड़कर किसी भी यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध है।

**आगे चलकर बाएं मुड़ना अनिवार्य (जंक्शन से पहले):** यह चिन्ह ड्राइवर को जंक्शन से पहले सिर्फ बाएं मुड़ने का निर्देश देता है।

**अनिवार्य साइकिल चालक और पैदल यात्री मार्ग:** यह चिन्ह बताता है कि यह साइकिल चालक एवं पैदल यात्री के लिए अनिवार्य ट्रैक है। इस ट्रैक पर साइकिल चालक एवं पैदल यात्री को छोड़कर किसी भी यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध है।

**केवल पैदल यात्री:** यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर केवल पैदल यात्री ही चल सकते हैं। इस सड़क पर किसी भी तरह का वाहन का आना–जाना मना है।

**बस–वे / केवल बसें:** सड़कों पर, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए कुछ लेन केवल बसों के लिए आरक्षित हैं जहाँ कोई अन्य वाहन नहीं चल सकता है।

**अनिवार्य स्नो चेन:** यह चिन्ह दर्शाता है कि पहाड़ी सड़कों पर बर्फ के कारण वाहन फिसलने और दुर्घटना से बचने के लिए चालक को टायरों पर स्नो चेनों का उपयोग करना चाहिए।

**हॉर्न बजाना अनिवार्य:** कुछ ऐसी परिस्थितियां है, जब हॉर्न बजाना अनिवार्य है। अचानक मोड़ (ब्लाइंड टर्न) आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों में, मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। इसलिए, जब यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को आपकी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न अवश्य बजाएं।

## अध्याय–3

# सचेतक सड़क चिन्ह

ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर इनका पालन करें। हालांकि इन चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है, किन्तु ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सचेतक चिन्ह अधिकतर त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं।

**बायां मोड़:** यह आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को भी कम करता है।

**दाहिना रिवर्स मोड़:** यह चिन्ह चालक को दाहिनी रिवर्स मोड़ (टेढ़े–मेढ़े) के बारे में सावधान करता है। चालक को गति कम कर सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए।

**दाहिना मोड़:** यह चिन्ह आगे सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को भी कम करता है।

**बायां रिवर्स मोड़:** यह चिन्ह चालक को बाएं रिवर्स मोड़ (टेढ़े–मेढ़े) के बारे में सावधान करता है। चालक को गति कम कर सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए।

**दाहिना हेयर पिन मोड़:** हेयर पिन मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेषतः पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिने हेयर पिन मोड़ के बारे में सचेत करता है। चालक को गति कम कर सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए।

**मोड़ों की श्रृंखला:** यह चिन्ह आगे की सड़क पर श्रृंखलाबद्ध मोड़ों की चेतावनी देता है ताकि चालक धीमा हो सके और सुरक्षित रूप से गाड़ी चला सके।

**बायां घुमावदार मोड़:** हेयर पिन मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेषतः पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आगे की सड़क पर एक तीव्र बायें हेयर पिन मोड़ के बारे में सचेत करता है। चालक को गति कम कर सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए।

**270 डिग्री लूप:** यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे 270 डिग्री लूप की घुमावदार सड़क है ताकि चालक धीमा हो सके और सुरक्षित रूप से गाड़ी चला सके।

**दाहिनी ओर पार्श्व सड़क:** यह चिन्ह चालक को आगे दाहिनी ओर की सड़क के बारे में सावधान करता है। चालक को गति कम कर सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए।

**वाई – सड़क संगम:** यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावाट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के 'वाई' (Y) अक्षर के आकार का है। चालक को गति कम कर सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए।

**बायीं ओर पार्श्व सड़क:** यह चिन्ह चालक को आगे बायीं ओर की सड़क के बारे में सावधान करता है। चालक को गति कम कर सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए।

**चौराहा:** यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें।

**वाई – सड़क संगम:** ये सड़क चिह्न आगे सड़क के वास्तविक निर्माण के बारे में चेतावनी देते हैं। सड़क को बायीं तरफ (Y) के आकार में दो भागों में बांटा गया है। चालक को गति कम कर सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए।

**गोल चक्कर:** गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी।

**वाई – सड़क संगम:** ये सड़क चिह्न आगे सड़क के वास्तविक निर्माण के बारे में चेतावनी देते हैं। सड़क को दायीं तरफ (Y) के आकार में दो भागों में बांटा गया है। चालक को गति कम कर सुरक्षित वाहन चलाना चाहिए।

**यातायात संकेतक:** यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है।

**टी–तिराहाः** यह चिन्ह चालक को सावधान करता है कि आगे की सड़क पर 'टी–तिराहा' है और वहां सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात को बायीं या दायीं ओर मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते तय करने में मदद मिलती है।

**विषम सड़क संगमः** यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर पहले बायीं और फिर दायीं ओर की सड़क मिल रही है जिनके बीच छोटी दूरी है।

**टी–तिराहा आगे प्रमुख सड़कः** यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क आगे टी–तिराहे पर प्रमुख सड़क से मिल रही है। यातायात को या तो बाएँ या दाएँ मुड़ना पड़ता है। इससे ड्राइवर को अपने रूट की योजना बनाने में मदद मिलती है।

**आगे यातायात विलय (बाएं से)**: यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे सड़क के बाईं ओर दूसरी सड़क का मिलान हो रहा है। चालक को गति कम करनी चाहिए और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

**आगे प्रमुख सड़कः** यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे प्रमुख सड़क है। यातायात को बायीं या दायीं ओर मोड़ना या सीधे आगे चलना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते तय करने में मदद मिलती है।

**आगे यातायात विलय (दाएं से)**: यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे सड़क के दायीं ओर दूसरी सड़क का मिलान हो रहा है। चालक को गति कम करनी चाहिए और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

**विषम सड़क संगमः** यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर पहले दायीं और फिर बायीं ओर की सड़क मिल रही है जिनके बीच छोटी दूरी है।

**आगे रास्ता संकरा हैः** यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता संकरा है। इस चिन्ह के बाद सड़क संकरा होता है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिएः

**रास्ता चौड़ा है:** यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।

**कम चौड़ाई बाएं लेन:** यह चिन्ह चालक को आगे के कैरिजवे की चौड़ाई में कमी के बारे में सावधान करता है। यह अविभाजित कैरिजवे पर प्रदर्शित होता है जब कैरिजवे के कुछ हिस्से को बंद कर दिया जाता है या मरम्मत के लिए कम कर दिया जाता है।

**आगे संकरा पुल:** कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है, जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है, जो सड़क की तुलना मे संकरे होते हैं। ड्राइवर गति कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नजर रखे।

**कम चौड़ाई बाएं लेन:** यह चिन्ह चालक को आगे के कैरिजवे की चौड़ाई में कमी के बारे में सावधान करता है। यह अविभाजित कैरिजवे पर प्रदर्शित होता है जब कैरिजवे के कुछ हिस्से को बंद कर दिया जाता है या मरम्मत के लिए कम कर दिया जाता है।

**खड़ी चढ़ाई:** चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है। ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और सही गियर लगा ले। अधिकतर पहाड़ी सड़कों पर ये लगाए जाते हैं, जहां सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य है।

**डुअल कैरिजवे की शुरुआत:** यह चिन्ह तब प्रदर्शित होता है जब सिंगल कैरिजवे डुअल कैरिजवे में समाप्त होता है।

**सीधी ढलान:** यह दर्शाता है आगे सीधी ढलान है एवं ड्राइवर सही गियर लगाकर सीधी ढलान पर चलाने के लिए तैयार हो जाए। सीधी ढलान पर गाड़ी चलाने के लिए वाहन की गति तेज नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वाहन पर पकड़ कमजोर पड़ जाती है। अधिकतर पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं, जहां सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य है।

**डुअल कैरिजवे समाप्त:** यह चिन्ह तब प्रदर्शित होता है जब डुअल कैरिजवे समाप्त हो जाता है और सिंगल कैरिजवे शुरू हो जाता है।

**मध्य पट्टी में अंतर:** यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के 'डिवाइडर' (विभाजक) में एक 'गैप' है और वहां यू–टर्न (वापस मुड़ने) की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर वाहन की गति धीमी करे और सही लेन पर ले जाए।

**दू वे ऑपरेशन:** यह संकेत चालक को सावधान करता है कि आगे टू वे ऑपरेशन सड़क है जिसपर दोनों ओर से यातायात की आने–जाने की अनुमति है।

**पैदल क्रॉसिंग:** यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे और पदयात्रियों को रास्ता पार करने दे। सड़क का एक भाग सफेद पटिट्यों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है।

**आगे की सड़क पर दो तरफा यातायात चेतावनी:** यह संकेत चालक को सावधान करता है कि आगे चौराहे पर दोनों ओर से यातायात चल रहा है, ताकि चालक गति कम कर क्रॉसिंग को सुरक्षित पार करें।

**आगे स्कूल:** यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे/आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर द्वारा वाहन की गति धीमी रखना और सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए, उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल के नजदीक सावधानी से वाहन चलाएं।

**लेन बंद (दो लेन का कैरिजवे):** यह संकेत सचेत करता है कि आगे दो लेन के कैरिजवे पर एक लेन बंद है।

**निर्मित क्षेत्र:** यह संकेत दर्शाता है कि निर्मित क्षेत्र आगे आ रहा है जिसका अर्थ है कि चालक भीड़ वाले क्षेत्र या शहर की ओर बढ़ रहा है और सचेत रहे।

**लेन बंद (तीन लेन का कैरिजवे):** यह संकेत सचेत करता है कि आगे तीन लेन के कैरिजवे पर एक लेन बंद है।

**लेन बंद (चार लेन का कैरिजवे):** यह संकेत करता है कि आगे चार लेन के कैरिजवे पर एक लेन बंद है।

**बधिर व्यक्तियों के आगे सड़क पर होने की संभावना:** यह चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर बधिर व्यक्तियों (जो वाहनों के हॉर्न की आवाज सुनने में असमर्थ हैं) के होने की संभावना है, इसलिए चालक किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए, बहुत सावधानी से वाहन चलाए।

**ड्यूल कैरिजवे पर ट्रैफिक डायवर्जन:** यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक को आगे कैरिजवे पर एक लेन से दूसरी लेन में डायवर्ट किया जाता है, ताकि ड्राइवर गति को कम कर सके और सुरक्षित चला सके।

**नेत्रहीन व्यक्तियों के आगे सड़क पर होने की संभावना:** यह चिन्ह संकेत देता है कि आगे सड़क पर नेत्रहीन व्यक्तियों के होने की संभावना है इसलिए चालक किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बहुत सावधानी से वाहन चलाए।

**आदमी काम कर रहे हैं:** यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मुरम्मत के काम पर मजदूर कार्य कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा जरूरी है और इसीलिए, सड़क पर उस स्थल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। चालक धीमी गति से परिवर्तित मार्ग पर वाहन चलाए और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

**साइकिल क्रासिंग:** यह चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इसका प्रयोग करते हैं। चालक को सावधानीपूर्वक चौराहा (इंटरसेक्शन) पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से पार कर सकें।

**खतरे की चेतावनी:** यह चिन्ह चालक को सड़क पर मानव या प्राकृतिक कारणों से आने वाले खतरे की संभावना के बारे में चेतावनी देता है।

**आगे साइकिल मार्ग:** यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे साइकिल मार्ग है। चालक सावधानी से वाहन चलाएं और साइकिल चालक के साथ किसी भी दुर्घटना से बचें।

**खतरनाक गहराई:** यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे, रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को उस गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

**खतरनाक खाई:** यह संकेत चालक को आगे आने वाली सड़क पर खतरनाक खाई या अवसाद के बारे में चेतावनी देता है, ताकि वह उसे सुरक्षित रूप से पार करने के लिए गति कम करे।

**गति अवरोधक:** ये संकेत आमतौर पर वाहनों की गति को कम करने के लिए, चौराहों, स्कूलों, अस्पतालों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों आदि से पहले लगाए जाते हैं।

**बिखरी बजरी:** यह चिन्ह आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहां सड़क पर ढीली मिट्टी या बजरी पड़ी होती है। तेज गति से चलने वाले वाहनों द्वारा यह उपर फेंका जा सकता है। चालक किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचने के लिए धीरे–धीरे और सावधानी से वाहन चलाएं।

**रंबल स्ट्रिप:** यह संकेत राजमार्गों पर स्थापित है, जहां वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए सड़क पर रंबल स्ट्रिप्स लगाए गए हैं। इससे चालक सावधान हो जाते हैं।

**फिसलन–भरी सड़क:** यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन–भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों में जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। चिन्ह दिखने पर चालक दुर्घटना से बचने के लिए वाहन की गति कम करे।

**ऊबड़–खाबड़ सड़क:** यह चिन्ह चालक को आगे आने वाली ऊबड़–खाबड़ सड़क के बारे में सचेत करता है, ताकि वह सुरक्षित रूप से उसे पार करने के लिए गति कम करे।

**बर्फ की वजह से फिसलन भरी सड़क:** यह संकेत आगे की सड़क पर बर्फ की मौजूदगी के बारे में चालक को चेतावनी देता है, जिससे वाहन फिसल सकते हैं। चालक वाहन धीमा करें और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी से वाहन चलाएं।

**ओपनिंग या स्विंग ब्रिज:** यह संकेत चालक को आगे आने वाले ओपनिंग या स्विंग ब्रिज के बारे में चेतावनी देता है, ताकि चालक ब्रिज को सुरक्षित रूप से पार कर सके।

**आगे अवरोध है:** कई बार सड़क, पथ–कर वसूली केंद्र/जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। चालक को गति कम करनी चाहिए और आगे बैरियर की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

**ओवरहेड केबल्स:** यह संकेत ड्राइवर को आगे सड़क के उपर लटके ओवरहेड बिजली के तारों के बारे में चेतावनी देता है, ताकि ड्राइवर सुरक्षित रूप से पार कर सके।

**अचानक पार्श्व हवाएँ:** यह संकेत चालक को सड़क पर आने वाली अचानक पार्श्व हवाओं के बारे में सतर्क करता है जो वाहनों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है।

**आगे खेल का मैदान:** यह चिन्ह चालक को आगे सड़क के पास खेल के मैदान के होने के बारे में सावधान करता है। चालक को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए खेल के मैदान के पास वाहन की गति को धीमा करना चाहिए।

**आगे सुरंग:** यह संकेत चालक को सड़क पर आगे स्थित सुरंग के बारे में सतर्क करता है, ताकि चालक सुरंग को सुरक्षित रूप से पार कर सके।

**घाट या नदी का किनारा:** यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए।

**नौका:** यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

**ट्राम क्रॉसिंग:** यह चिन्ह दर्शाता है कि ट्राम क्रॉसिंग आगे सड़क पर है, ताकि चालक गति को कम कर सके और सुरक्षित रूप से पार कर सके।

**पशु क्रॉसिंग:** यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। ऐसे पशुओं से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं भी यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

**पत्थर लुढ़कने की संभावना:** तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर/चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि रास्ते पर पत्थर/चटटानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।

**जंगली जानवर:** यह संकेत चालक को आगे की सड़क पर जंगली जानवरों के अचानक आने की संभावना के बारे में सतर्क करता है, ताकि चालक गति कम कर सके और सुरक्षित पार कर सके।

**हवाई अड्डा:** यह संकेत चालकों को पास के हवाई अड्डे के बारे में सतर्क करता है ताकि हवाई जहाज के अचानक ऊपर से गुजरने से होने वाली किसी भी दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके।

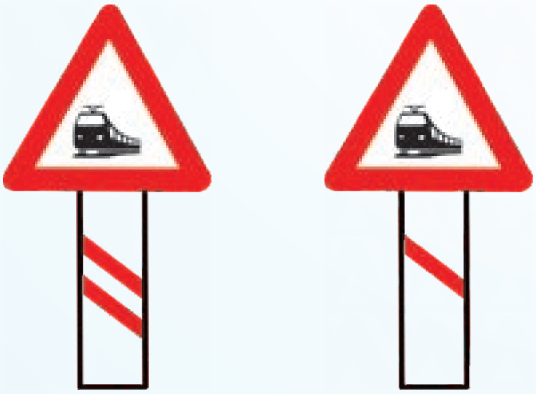

(a) At 200 m

(b) At 50-100 m
(Plain/Rolling)
At 30-60 m (Hill)

**मानवरहित समपार:** यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ड्राइवर को स्वयं यह सुनिश्चित करने के बाद सावधानीपूर्वक इस अरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा कि निकटवर्ती रेल पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ – जा रही है। एक और दो लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 50–100 मी. या 200 मी. की दूरी पर है।

(a) At 200 m

(b) At 50-100 m
(Plain/Rolling)
At 30-60 m (Hill)

**रक्षित समपार क्रासिंग:** कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहां गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। एक या दो लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 50–100 मी. या 200 मी. की दूरी पर है।

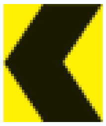

सिंगल शेवरॉन (सामान्य)

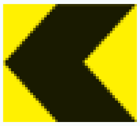

सिंगल शेवरॉन
(>100 किमी प्रति घंटे की गति)

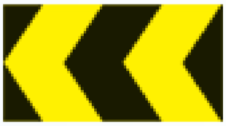

डबल शेवरॉन

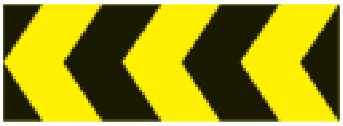

ट्रिपल शेवरॉन

**सिंगल शेवरॉन (सामान्य):**

**सिंगल शेवरॉन (>100 किमी प्रति घंटे की गति):**

**डबल शेवरॉन:**

**ट्रिपल शेवरॉन:**

- शेवरॉन चिन्ह राजमार्गों के घुमावदार सिधाई पर स्थापित होते हैं, शेवरॉन संकेतों का उपयोग चालकों को राजमार्ग पर आगे घुमाव की तीव्रता के बारे में सूचित करने के लिए लगाए जाते हैं।

- शेवरॉन चिन्ह खड़े आयत के होते हैं और हमेशा एक मोड़ या घुमाव के बाहर, आने वाले यातायात के साथ और लगभग समकोण पर स्थापित होते हैं।

**वस्तु खतरा (बाएं):** यह संकेत चालक को राजमार्ग के बाईं ओर खतरे वाली वस्तु के बारे में सावधान करता है। चालक को इन चिन्हों के पास वाहन की गति धीमी करनी चाहिए और सावधानी से चलाना चाहिए।

**वस्तु खतरा (दाएं):** यह संकेत चालक को राजमार्ग के दाईं ओर खतरे वाली वस्तु के बारे में सावधान करता है। चालक को इन चिन्हों के पास वाहन की गति धीमी करनी चाहिए और सावधानी से चलाना चाहिए।

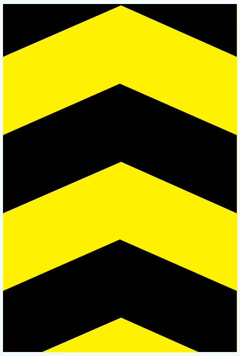

**टू वे हैजर्ड मार्कर:** यह संकेत ड्राइवर को आगे राजमार्ग पर दोतरफा खतरे के बारे में सावधान करता है। चालक को इन चिन्हों के पास वाहन की गति धीमी करनी चाहिए और सावधानी से चलाना चाहिए।

# सूचनात्मक सड़क चिन्ह

इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्यः सड़क के प्रयोक्ताओं को दिशा, गंतव्य, स्थान, सड़क के किनारे पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का समय बचता है और इधर–उधर भटके बिना गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। आम तौर पर ये चिन्ह नीले/हरे रंग में होते हैं। इन पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शायी जाती है।

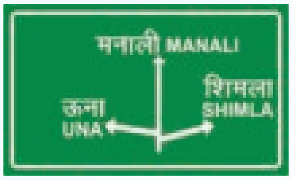


**अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्हः** यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न स्थानों की दिशा को दिखाता है।

**आश्वासन चिन्हः** यह चिन्ह आश्वस्त करता है कि चालक सही रास्ते पर है, और यह विभिन्न स्थानों की दूरी भी दर्शाता है।

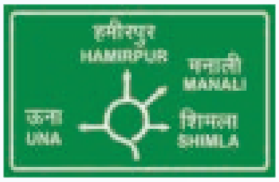


**गोलचक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्हः** यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है जो तीरों द्वारा गंतव्यों का रास्ता दिखा रहा है।

**स्थान पहचान चिन्हः** यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह चिन्ह आमतौर पर लगाया जाता है।

**स्टैक टाईप अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्हः** यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न स्थानों की दिशा को दिखाता है।

**भोजन स्थानः** यह चिन्ह दर्शाता है कि लिखित दूरी पर भोजनालय है। आम तौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है।

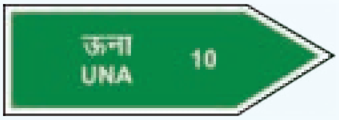


**फ्लैग टाईप दिशा चिन्हः** यह चिन्ह इस पर लिखे गए गंतव्य/स्थान की दिशा दर्शाता है।

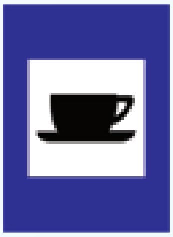

**अल्पाहार (जलपान)ः** यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर आगे अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है।

**विश्राम स्थल:** सफर के दौरान चिन्ह विश्राम के लिए मोटल, लॉज या अन्य विश्राम गृह की उपलब्धि दर्शाता है। राजमार्गों पर ये देखे जा सकते हैं।

**अस्पताल:** यह चिन्ह दर्शाता है कि आसपास लिखित दूरी पर अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए।

**प्राथमिक उपचार केन्द्र:** यह चिन्ह दर्शाता है कि आसपास प्राथमिक उपचार सुविधा है जो आपात या दुर्घटना के स्थिति में बहुत उपयोगी होती है। आम तौर पर ये चिन्ह राजमार्गों और सड़कों पर लगाए जाते हैं।

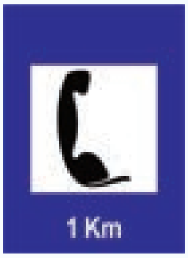


**सार्वजनिक टेलीफोन:** यह चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है।

**शौचालय:** यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर आगे शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

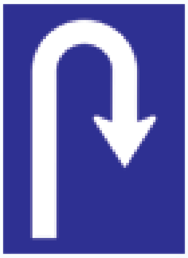

**आगे यू–टर्न:** यह चिन्ह चालक को आगे सड़क पर यू–टर्न की उपलब्धता के बारे में सूचित करता है।

**फिलिंग स्टेशन (ईंधन पंप):** यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर आगे फिलिंग स्टेशन है।

**पैदलपथ सबवे:** यह चिन्ह पैदलपथ अंडरपास/सबवे को दर्शाता है। यहाँ सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अंडरपास/सबवे का प्रयोग करना सुरक्षित है।

**फुट ओवर ब्रीज:** यह चिन्ह पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रीज की उपलब्धता को दर्शाता है, यहाँ से पैदल यात्री सुरक्षित सड़क पार कर सकते हैं।

**रेलवे स्टेशन/मेट्रो स्टेशन/मोनोरेल स्टेशन:** यह चिन्ह रेलवे/मेट्रो/मोनोरेल स्टेशन के स्थान को दर्शाता है।

**पुलिस थाना:** यह चिन्ह आगे या आसपास स्थित पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी देता है।

**साइकिल रिक्शा स्टैंड:** यह चिन्ह आगे स्थित साइकिल रिक्शा स्टैंड की जानकारी देता है।

**रिपेयर फैसिलिटी:** यह साइन आगे रिपेयर फैसिलिटी की जानकारी देता है।

**टैक्सी स्टैंड:** यह चिन्ह आगे स्थित टैक्सी स्टैंड की जानकारी देता है।

**औद्योगिक क्षेत्र:** यह चिन्ह आगे स्थित औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी देता है।

**ऑटो रिक्शा स्टैंड:** यह चिन्ह आगे स्थित ऑटो रिक्शा स्टैंड की जानकारी देता है।

**एयरपोर्ट:** यह चिन्ह आगे स्थित एयरपोर्ट की जानकारी देता है।

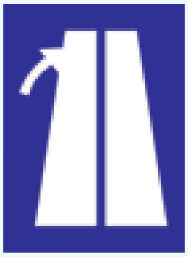

**एक्सप्रेसवे के लिए प्रवेश रैंप:** यह चिन्ह आगे एक्सप्रेसवे के लिए प्रवेश रैंप की उपलब्धता के बारे में जानकारी देता है।

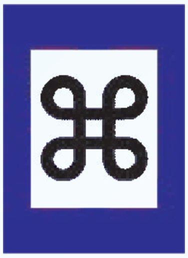

**राष्ट्रीय विरासत:** यह चिन्ह आगे स्थित राष्ट्रीय विरासत के किसी ऐतिहासिक स्थान/स्मारक की जानकारी देता है।

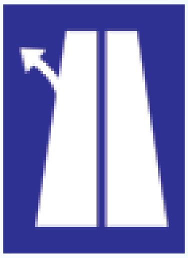

**एक्सप्रेसवे के लिए एग्जिट रैंप:** यह चिन्ह आगे एक्सप्रेसवे से एग्जिट रैंप की उपलब्धता के बारे में जानकारी देता है।

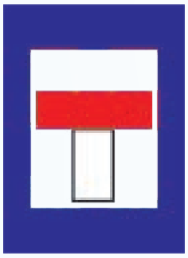

**आगे सड़क नहीं है:** यह चिन्ह जानकारी देता है कि आगे सड़क नहीं है।

**एक्सप्रेसवे चिन्ह:** यह चिन्ह आगे एक्सप्रेसवे के शुरू होने की सूचना देता है।

**आगे टोल रोड:** यह चिन्ह आगे स्थित टोल रोड की जानकारी देता है।

**एक्सप्रेसवे समाप्त:** यह चिन्ह आगे एक्सप्रेसवे के समाप्त होने की सूचना देता है और चालक को आगाह करता है कि वह सामान्य सड़क की ओर बढ़ रहा है।

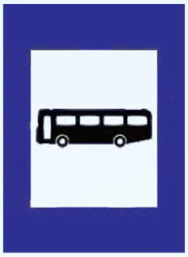

**बस स्टॉप:** यह चिन्ह बस स्टॉप को दर्शाता है। यह भी दर्शाता है कि सभी बसें (सार्वजनिक परिवहन) यहाँ पर रूकेंगी।

**स्कूटर व मोटर साइकिलें खड़ी करने की जगह:** यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां केवल स्कूटर और मोटर साइकिल को पार्क किया जाए।

**आपातकालीन निकास:** यह संकेत पास के आपातकालीन निकास की उपलब्धता के बारे में जानकारी देता है, आमतौर पर यह प्रतीक सुरंगों/अंडरपास पर स्थापित होते हैं।

**ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह:** यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां केवल ऑटोरिक्शा को पार्क किया जाए।

**साइकिल खड़ी करने की जगह:** यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां केवल साइकिल को पार्क किया जा सकता है।

**साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह:** यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां केवल साइकिल रिक्शा को पार्क किया जाए।

**पार्किंग:** यह चिन्ह वाहनों के लिए पास में पार्किंग की उपलब्धता के बारे में जानकारी देता है।

**टैक्सियां खड़ी करने की जगह:** यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां केवल टैक्सियों को पार्क किया जाए।

**विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग:** यह चिन्ह विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग की उपलब्धता के बारे में जानकारी देता है।

**स्टेट हाईवे रूट मार्कर साइन:** यह साइन स्टेट हाईवे के शुरू होने की जानकारी व उसकी संख्या बताता है।

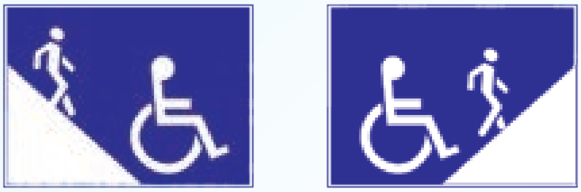

**विकलांग व्यक्ति के लिए सबवे/ओवर ब्रिज में रैंप एंट्रेंस:** यह चिन्ह विकलांग व्यक्ति के लिए पास में सबवे/आवेर ब्रिज पर रैंप एंट्रेंस की उपलब्धता के बारे में जानकारी देता है।

**राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग चिन्ह:** यह चिन्ह राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रारम्भ होने की सूचना व उसकी संख्या बताता है।

**विकलांग व्यक्ति के लिए टेलीफोन सुविधा:** यह चिन्ह विकलांग व्यक्ति के लिए नजदीक टेलीफोन सुविधा की उपलब्धता की जानकारी देता है।

**एक्सप्रेसवे रूट मार्कर चिन्ह:** यह चिन्ह एक्सप्रेसवे के प्रारम्भ होने की सूचना व उसकी संख्या बताता है।

**विकलांग व्यक्ति के लिए शौचालय की सुविधा:** यह चिन्ह विकलांग व्यक्ति के लिए पास शौचालय की सुविधा की उपलब्धता के बारे में जानकारी देता है।

अध्याय–5

# सड़क मार्किंग

सड़क मार्किंग, रेखाओं का समूह तथा सड़क की सतह पर पेंट किया गया या स्थापित डिजाइन है, जो सड़क यातायात की आवाजाही को सुगम बनाता है। यह वाहनों की पार्किंग या पार्किंग न किए जाने वाले स्थानों को चिन्हित करने तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं देने में सहायक होता है। कारपेट की सड़कों पर लगे ये निशान ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करते हैं।

भारत में सड़कों को चिन्हित करने के लिए सफेद तथा पीले रंग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। सफेद रंग का प्रयोग सामान्यतः कैरिजवे (सड़क) चिन्हों के लिए किया जाता है। प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए पीले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सफेद या पीले रंग के साथ काले रंग का प्रयोग किनारों तथा वस्तु को चिन्हित करने के लिए किया जाता है।

दो मार्गीय सड़क, (जिसे किसी प्रकार की रेलिंग या निर्माण द्वारा विभाजित नहीं किया गया है), को मध्य रेखा ही, विपरीत दिशा से आने वाले यातायात प्रवाह को अलग करती है और यातायात के संचालन को सुलभ बनाती है। मध्य रेखा निम्नानुसार हो सकती है:

i. एकल खंडित रेखा

ii. एकल निरंतर स्थूल रेखा (बैरियर रेखा)

iii. एक दोहरी स्थूल रेखा या स्थूल रेखा व खंडित रेखा का संयोजन

एकल तथा दोहरी स्थूल रेखाओं चाहे सफेद हो या पीली हो, को क्रॉस नहीं करें और न ही उसके ऊपर चलें। दो मध्य रेखाओं वाली सड़क, जिसमें से एक रेखा स्थूल है और दूसरी विखंडित, पर स्थूल रेखा का महत्व तभी है जब वह संयोजन के बाईं ओर है, जिसे चालक देख सकता है। ऐसे में वाहन चालक सचेत रहें कि वह मध्य रेखा को क्रास न करे और उसके ऊपर से न गुजरे।

## दोहरी सफेद/पीली रेखाएं:

दोहरी निरंतर रेखाओं का प्रयोग वहां किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता साफ न हो। यहां किसी भी दिशा से आने वाले यातायात को मध्य रेखा को क्रॉस करना वर्जित है।

## स्थूल तथा विखंडित रेखाओं का संयोजन:

यदि विखंडित रेखा आपकी ओर है तो आप उसे पार कर सकते हैं या उसके ऊपर से निकल सकते हैं या ओवरटेक कर सकते हैं, किन्तु ऐसा तभी करना चाहिए जब ऐसा करना पूर्णतः सुरक्षित हो।

यदि निरंतर रेखा आपकी ओर है तो आप उसे क्रॉस करके ओवरटेक नहीं कर सकते।

एकल पीली रेखाः आप इस रेखा को दायीं ओर मुड़ने या यू–टर्न लेने के किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करें।

## स्टॉप लाइनः

स्टॉप लाइन एकल स्थूल रेखा है जो सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग तथा इंटरसेक्शनों से पूर्व आरपार बनी होती है। यह रेखा दर्शाती है कि लाल सिग्नल होने पर या यातायात पुलिसकर्मी द्वारा निर्देश दिए जाने पर सभी वाहनों को इस रेखा से पीछे रूकना है। इस रेखा का उल्लंघन करने से पैदल यात्री के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है और यातायात प्रबंधन भी अव्यवस्थित होता है।

**गिव–वे रेखा:**

गिव–वे रेखा सामान्यतः दोहरी बिंदुओं से चिन्हित रेखा है जो जंक्शनों पर तिरछी चिन्हित होती है। सामान्यतः सड़क की सतह पर बिंदुयुक्त रेखाओं से पूर्व या मार्किंग के साथ में एक सड़क चिन्ह अंकन द्वारा इन रेखाओं के साथ गिव–वे का उलटा तिकोन चिन्ह बना होता है। अर्थ है कि मुख्य पहुंच सड़क पर यातायात को रास्ता दें।

**चौड़ी या छोर रेखाएं:**

ये सड़क के छोर पर निरंतर चलने वाली रेखाएं हैं और यह मुख्य कैरिज–वे की सीमा को चिन्हित करती हैं जहां तक वाहन को चलाना सुरक्षित है।

**पार्किंग प्रतिबंधित रेखाएं:**

"नो–पार्किंग" साइन सहित एक स्थूल निरंतर पीली रेखा नो–पार्किंग क्षेत्र की सीमा को दर्शाती है।

**पैदलपथ क्रॉसिंग:**

ये वैकल्पिक काली व सफेद पट्टियां हैं जो सड़क पर समानान्तर रूप से पेंट की जाती हैं तथा सामान्यतः इन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। पैदल चलने वालों को केवल इसी बिंदु से सड़क पार करनी चाहिए जब बत्ती ऐसा करने का संकेत दे। चालक जेब्रा क्रॉसिंग पर अपना वाहन रोककर पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए। पैदलपथ क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों को सड़क पार करने की सुविधा व अधिकार प्रदान करने के लिए ही चिन्हित किया गया है।

सड़क चिन्हों के लिए सामान्यतः यातायात पेंटों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सड़क मार्किंग के लिए सड़क स्टड्स, कैट्स आई तथा थर्मोप्लास्टिक पट्टियों जैसी अन्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह सड़क सुरक्षा को संवर्धित करते हैं और यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। कई बार, सड़क मार्किंग सड़क चिन्हों तथा अन्य उपकरणों के संदेश के लिए भी अतिरिक्त प्रयोग किया जाता है।

# अध्याय–6

## सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद गुड समारिटन कैसे करें?

सड़क दुर्घटना के पीड़ित की जान चिकित्सा सहायता देकर या गुड समारिटन द्वारा गोल्डन आवर (स्वर्णिम घंटा) के भीतर अस्पताल पहुंचाकर बचाई जा सकती है।

**आघात के बाद का पहला घंटा "गोल्डन आवर" होता है। उस दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल और समुचित प्राथमिक चिकित्सा दे, इससे उसका जीवन बचने की संभावना कई गुना बढ़कर चोट की गंभीरता कम हो जाती है। समय पर प्राथमिक उपचार देकर कई मौतों/अशक्तताओं को टाला और चोट की गंभीरता को रोका जा सकता है।**

**नेक व्यक्ति (गुड समारिटन) के अधिकार** सीएमवी (12वां संशोधन) नियम, 2020 के 168 नियम के अनुसारः

1. ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 134क के अनुसार नेक व्यक्ति है, के जो अधिकार होंगे उनका ब्यौरा इस अध्याय में निहित हैं और उनके साथ किसी भी धार्मिकता, राष्ट्रीयता, जातिगत या लैंगिकता के आधार पर भेदभाव किए बगैर सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।
2. एक नेक व्यक्ति, जिसने दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया है या जो सड़क दुर्घटना के पीड़ित को अस्पताल ले गया है, को पुलिस या अस्पताल द्वारा आगे की किसी भी आवश्यकता के लिए रुकने को विवश नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत स्थान छोड़ने की अनुमति होगी।
3. कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई अन्य व्यक्ति, नेक व्यक्ति को उनका नाम, परिचय, पता या इस प्रकार का अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा बताने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

परंतु नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम, पता और घायल व्यक्ति (अगर जानने वाला) का नाम पुलिस अधिकारी को बता सकता है।

परंतु इसके अतिरिक्त, यदि नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम या व्यक्तिगत विवरण बताता है, तो पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने का विकल्प पूरी तरह से नेक व्यक्ति पर निर्भर करेगा।

4. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि (Not with standing anything contained in any other law) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक नेक व्यक्ति, जो किसी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, को निम्नलिखित के लिए बाध्य नहीं किया जाएगाः

क. चिकित्सी–विधि मामला प्ररूप (Medico-Legal Case Form) के प्रयोजनार्थ सहित कोई भी व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे उसका नाम, टेलीफोन नंबर और पता बताने के लिए;

ख. घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए संबंधित किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए; या

ग. किसी घायल व्यक्ति के उपचार का चिकित्सीय व्यय वहन करने के लिए।

परंतु यदि नेक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना नाम बताया है और यदि वह ऐसा करने की इस प्रकार बांछा करता है, तो अस्पताल अपने आधिकारिक पत्र में ऐसे नेक व्यक्ति का नाम, पता, दुर्घटना का समय, तिथि, स्थान और यह पुष्टि करते हुए कि घायल व्यक्ति को उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा लाया गया था, के रूप में अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

ट्रॉमा केन्द्रों की यह स्वीकार्य नीति है कि यदि चोट लगने के एक घंटे के भीतर, जिसे 'स्वर्णिम घंटा' कहते हैं, आरंभिक स्वास्थ्य स्थिरता को बनाये रखने के लिए आधारभूत जीवन सहायक, प्रथम उपचार और द्रव्यों का प्रतिस्थापन प्रदान किया जाए तो अनेक पीड़ितों की जान को बचाया जा सकता है। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार की आपदा की स्थिति में उपचार के लिए निश्चित समयावधि के भीतर प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा आरंभिक स्थिरता, तीव्र परिवहन तथा चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाएं।

यह एक संभावना है कि एक घंटे में पीड़ित तक उचित चिकित्सा देखभाल नहीं पहुंचती है। ऐसे मामले में राहगीर और वहां मौजूद अन्य लोग (पहली सहायता करने वाले) घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, कई बार पीड़ित व्यक्ति की अनुचित ढंग से देखभाल करने से स्थिति बिगड़ जाती है। दुर्घटना पीड़ित की प्राथमिक चिकित्सा अधिक जटिल नहीं है, इसलिए हमें इसकी प्रक्रियाओं और ऐहतियातों के बारे में परिचित होना चाहिए।

**दुर्घटना पीड़ित के इलाज की प्राथमिकताएं क्या हैः**

- ❒ श्वास में अवरोध (ऑक्सीजन न मिलना)
- ❒ हृदय के काम का एकदम से रूकना
- ❒ तीव्र रक्तस्राव (खून बहना)
- ❒ अन्य चोटें/बीमारियां

**तत्काल आवश्यकताः**

संकटपूर्ण चार मिनट – किसी भी सड़क दुर्घटना में मौत का एक सबसे सामान्य कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रूकना होता है। अधिकतर मामलों में इसका कारण वायु मार्ग का अवरद्ध होना है। याद रखें:

1. पहले स्थल को सुरक्षित बनाएं

2. घायलों को देखें

3. उनकी सहायता करें

4. मदद के लिए बुलाएं और बेहोश पीड़ितों को देखें

**ए बी सी (A B C) के नियम का अनुसरण करें:**

ए(A) एयरवे यानी वायु मार्ग–यानी सांस लेने का रास्ता खोलें

बी(B) ब्रीदिंग यानी सांस लेना – मुंह से मुंह में सांस फूंककर – (रिससाइटेशन) जीवन को बहाल करने में मदद करें।

सी(C) सर्कुलेशन यानी रक्तसंचार – खून बहने को रोकें

**ए(A) एयरवे – वायु मार्ग यानी सांस लेने का रास्ता खोलें:**

- पीड़ित को धीरे से और सावधानीपूर्वक जमीन पर लिटाएं ताकि और चोट लगने से रोका जा सके।
- पीड़ित को एक ओर मोड़ें।
- गले, सीने और कमर पर कपड़े ढीले करें।
- सिर को पीछे की ओर चेहरा नीचे करते हुए झुकाएं, ताकि जीभ आगे होकर खून और उल्टी बाहर आ सके।
- मुँह में लगी गंदगी, उल्टी, रक्त या टूटे दांत हटाएं।

**बी(B) ब्रीदिंग यानी सांस लेना – मुंह से मुंह में सांस फूंककर – (रिससाइटेशन) जीवन को बहाल करने में मदद करें:**

- 'श्वसन बहाली – मुंह से मुंह में सांस छोड़ना–लेना। यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा है तो उसे माउथ–टू–माउथ रिससिटेशन दें।
- पीड़ित को पीठ की ओर लिटाएं और तत्काल मुंह से मुंह में सांस छोड़ें–लें।
- सिर को पीछे झुकाएं, जबड़ों को सहारा दें, गले से उंगलियां दूर रखें।
- मुंह से मुंह अच्छी तरह लगाएं ताकि आपके गाल पीड़ित के नाक पर रहें, सीना ऊपर उठने तक मुंह में फूंक मारें।
- अपना मुंह हटाएं, सीना ऊपर से नीचे जाने को देखें और नाक एवं मुंह से वायु निकलने को सुनें तथा महसूस करें।
- यदि सीना ऊपर नहीं उठता है तो अवरूद्ध वायु मार्ग की जांच करें।
- पीड़ित व्यक्ति का श्वसन बहाल होने तक मुंह से मुंह लगाकर सांस छोड़ें–लें। पीड़ित वयस्क के लिए प्रत्येक चार सेकेंड और बच्चे के लिए प्रत्येक तीन सेकेंड पर मुंह में सांस छोड़ें–लें।

**सी(C) सर्कुलेशन यानी रक्तसंचार–खून बहने को रोकें:**

- खून बहने वाले घाव को साफ करें। कपड़े या बैंडेज के मोटे पैड की मदद से घाव पर सीधा दबाव डालकर खून बहना रोकें।
- जिन शारीरिक अंगों से खून बह रहा है, उसे रोकने के लिए उन अंगों को ऊंचा उठाएं।
- जिस जगह खून बह रहा है, वहां से बाहरी वस्तुएं हटाएं।
- घाव के चारों ओर पैड और बैंडेज लगाएं। हड्डियां टूटी दिखाई देने पर भी यही करें।

अध्याय–7

# सामान्य गलतियाँ सुधारें, ड्राइविंग बेहतर करें

1. **ध्यान खोना – ध्यान बंटनाः**
   - शांत बने रहें और ड्राइविंग पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें।
   - अपने बाकी कार्यों पर नहीं, बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें।
2. **निद्रा अवस्था में ड्राइविंगः**
   - समय–समय पर या आवश्यकतानुसार रूकें / विश्राम करें।
   - सुनिश्चित करें कि लंबे सफर से पहले पर्याप्त विश्राम लें।
3. **कार के भीतर ध्यान बंटना (सेल फोन, रेडियो, यात्री):**
   - ड्राइविंग करते समय सेल फोन के इस्तेमाल से बचें।
   - यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा की योजना बनाएं और उसका अध्ययन करें।
4. **मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के मुताबिक चलने में विफलताः**
   - वर्षा के दौरान गति कम करें।
   - वाहनों के बीच उचित दूरी बना कर रखें।
   - कम दिखाई देने पर परिस्थिति के अनुसार ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं।
5. **उदंडतापूर्वक ड्राइविंग (Impatient Driving) (सामने के वाहन के बहुत नजदीक गाड़ी चलाना, लाल बत्तियां और ठहरने के चिन्ह को लांघना):**
   - यात्रा के लिए पर्याप्त समय दें।
   - शांत रहें और सुरक्षित गाड़ी चलाएं।
6. **अन्य ड्राइवरों के इरादों का अनुमान लगाएंः**
   - रक्षात्मक तरीके से गाड़ी चलाएं।
   - अचानक होने वाली घटना टालने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाएं।
   - अपने इरादे जताएं, मोड़ पर सिग्नल आदि का इस्तेमाल करें।
   - यातायात चिन्हों का पालन करें।
   - याद रखें कि आदर्श स्थितियों में गति सीमा एक निर्धारित कानून सीमा होती है, मगर परिवर्तनों के लिए तैयार रहें।
7. **आसानी से दिखाई न पड़ने वाले स्थानों की जांच किए बिना लेन बदलनाः**
   - सिग्नल दें, शीशे देखते हुए, सरसरी निगाह डालें।
   - धीरे–धीरे लेन बदलें।
8. **दु:खी अवस्था में गाड़ी चलानाः**
   - इससे बचें क्योंकि यह नशे की अवस्था में गाड़ी चलाने के समान है।
9. **वाहन के आवश्यक रखरखाव की अनदेखी करना (ब्रेक लाइट, घिसे हुए टायर्स आदि):**
   - प्रत्येक सप्ताह रखरखाव की जांच करें।
   - प्रत्येक 15000 किमी. पर ब्रेक पैड्स बदलें
   - घिसे हुए टायर बदलें।

# पैदल यात्री, साइकिल चालक और स्कूल बस के लिए सुरक्षा सुझाव

पैदल चलने वाले असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता समूह में से एक हैं। सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए उन्हें चाहिए कि वे सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग करें। सड़क पार करने के सबवे (तलमार्ग), जेबरा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज का जरूर उपयोग करें। सड़क पार करने के शॉर्ट कट या आसान विकल्प खतरनाक होते हैं और उन्हें नहीं अपनाएं।

**सड़क पर निम्नलिखित सामान्य तरीके आपको सुरक्षित रखेंगे:**

- सामने से आ रहे यातायात को देखते हुए ध्यानपूर्वक चलें।
- सड़क पार करते समय कभी यह मानकर नहीं चलें कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है। अपने जीवन की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है।
- जहां ड्राइवर नहीं देख पाए, वहां सड़क पार न करें।
- पार करने से पहले यातायात और आपके बीच उपयुक्त दूरी होने का इंतजार करें।
- डिवाइडर रेलिंग्स के ऊपर से कभी भी न कूदें। आप लड़खड़ाकर वाहनों पर गिर सकते हैं।
- बच्चों के साथ सड़क पार करते समय उनका हाथ थामकर रखें।
- सुबह पैदल सैर करने और दौड़ने के लिए सड़क के इस्तेमाल से बचें।
- चढ़ाई पर या टेढ़ा रास्ता पार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- पार्क की गई कारों के बीच रास्ता पार न करें।
- सबसे छोटा और सबसे सीधा मार्ग द्वारा सड़क पार करें, समय की बचत व सुरक्षा हेतु।

**बच्चों को सड़क पार करने का सुरक्षित आचरण सिखाएं:**

10 वर्ष की आयु तक बच्चे स्वयं को सुरक्षित रखने के कौशल तथा क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते हैं। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि जब कभी बच्चे बाहर निकल कर यातायात के आसपास जाएं, तो उनके परिवार का कोई व्यस्क सदस्य अनिवार्य रूप से उनके साथ हो। सड़क पार करते समय हर परिस्थिति में व्यस्क को बच्चे का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए।

- यह अनिवार्य है कि आप अपने बच्चे को छोटी आयु से ही सिखाएं: सड़क पार करने से पूर्व **रूकें, देखें, सुनें और सोचने–समझने** के पश्चात ही सड़क पार करें।
- पार करने से पूर्व फुटपाथ के किनारे से एक कदम पीछे ही रूकें।
- आते जाते यातायात पर निगाह रखने के लिए सभी दिशाओं की ओर देखें। अपने बच्चों को भी सड़क पार करते समय सभी दिशाओं में देखने के लिए प्रोत्साहित करें न कि केवल बायें और दायें।
- आने व जाने वाले वाहनों की ध्वनि को भी सुनें।
- सोचें कि उस समय सड़क पार करना सुरक्षित है या नहीं। आने वाले वाहन के ड्राइवर के साथ आंखों का सीधा संपर्क रखें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उसने आपको देख लिया है।

सड़क पार करते समय अपना चेहरा आने वाले यातायात की ओर ही रखें और वाहनों की ध्वनि को सुनते रहें।

बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें और हर बार सड़क पार करते समय हमेशा **रूकें, देखें, सुनें और सोचें।**

साइकिल सबसे लोकप्रिय और व्यापक इस्तेमाल का गैर–मोटरीकृत वाहन है, इसलिए साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को यातायात के नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए, सड़क पर साइकिल चलाना कभी नहीं सीखना चाहिए। किसी भी वयस्क व्यक्ति की मौजूदगी में पार्क या खेल के मैदान जैसे सुरक्षित स्थानों पर ही चलाना सीखें। यदि आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित प्राथमिक बातों की जानकारी नहीं है तो साइकिल चलाने के बारे में आपका ज्ञान अधूरा है।

**हमेशाः**

- साइकिल को सुचारू स्थिति में रखें। चलाने से पहले ब्रेक, टायर, हवा के दबाव, घंटी, लाइट और चेन की जांच करें।
- यातायात नियमो का पालन करें। मुड़ते समय यातायात पर नजर डालें और हाथ से संकेत दें।
- साइकिल पर क्षमता से अधिक भार न लादें। साइकिल एक या अधिकतम दो व्यक्तियों के बैठने के लिए होती है।
- सड़क के बायीं ओर चलें।
- ओवरटेकिंग से बचें। यदि सड़क संकरी है तो "एक कतार" में ही रहें।
- सड़क पर कलाबाजी न करें। हैंडल के दोनों डंडों पर अपने हाथ रखें।
- यदि उपलब्ध हो तो सिर्फ साइकिल मार्गों का ही उपयोग करें।
- सड़क पर हमेशा चौकस रहें।
- रात को चटकीले रंग के कपड़े पहनें और चमकती लाइट रखें।
- साइकिल पर रिफ्लेक्टिव (परावर्तक) टेप लगाएं, ताकि वह रात में भी दिखाई दें।

**स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षाः**

स्कूल बस की सुरक्षा सभी अभिभावकों, शिक्षकों और बस स्टाफ की जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ बस स्टॉप पर ही समाप्त नहीं हो जाती। हमें अपने बच्चों को समुचित और सुरक्षित ढंग से स्कूल बस के उपयोग के बारे में सिखाना चाहिए।

**बच्चों को यह सिखाएं जब वे स्कूल बस में चढ़ रहे हैं:**

- ◆ जल्दबाजी न करें, बस के रूकने का इंतजार करें।
- ◆ एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करें।

- रेलिंग पकड़कर बस में प्रवेश करें।
- देख लें कि आपका बैग या कपड़े आदि कहीं भी न फंसे।
- सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं।

**बस में यात्रा करते हुए:**

- सीट पर सही ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें।
- अपने शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर न निकालें।
- पायदान पर यात्रा न करें।
- बस का गलियारा खाली रखें।
- शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न बटाएं।
- ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करें।

**बस से उतरते समय:**

- जल्दबाजी न करें, बस रूकने का इंतजार करें।
- रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें।
- बस के अगले दरवाजे से ही बाहर निकलें।
- उतरते समय सुनिश्चित करें कि ड्राइवर आपको देख सकें।
- खोई चीजें वापस लेने के लिए बस के नीचे न जाएं।
- बस के पीछे न चलें, जहां ड्राइवर नहीं देख पाता।

## स्कूलों/शिक्षक संस्थानों के वाहनों हेतु सामान्य दिशा निर्देश

- **वाहन के पीछे स्कूल बस या ऑन स्कूल डियूटी का लिखा होना चाहिए।**
- **बस के भीतर चालक का ब्यौरा जैसे नाम फोटो लाईसेंस नम्बर, टेलिफोन नम्बर, स्कूल का नाम, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 पर होनी चाहिए।**
- **यदि वाहन में 12 वर्ष की आयु से कम बच्चे हैं तो उस वाहन या बस में जाने वालों की संख्या वाहन की क्षमता ( पासिंग केपेसिटि ) से डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
- **स्कूल बस या वाहन के चालक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
- **स्कूल बसों या वाहनों में छेड़ छाड़ रोधी (Tamper Proof Speed Governors) जिनकी गति सीमा 40 कि0मी0 प्रति घंटा होगी लगवाना अनिवार्य है।**
- **स्कूल को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने वाले वाहन 15 वर्ष से पुराने नहीं होने चाहिए।**
- **स्कूल बस या वाहन में objectionalbe पदार्थ जैसे की गैस सिलेंडर, मिटी का तेल शराब तेजाब आदि वस्तुएं रखना सख्त मना है।**

अध्याय–9

# कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग

## कोहरे के समय:

कोहरे के समय गाड़ी की गति कम करें और हेडलाइट को ऑन रखें, हमेशा नीची(लो) बीम में रखें ताकि आप सड़क को पूरी तरह से देख सकें। कोहरे के समय उच्च बीम सहायक नहीं होती है क्योंकि कोहरे के आर–पार देखा नहीं जा सकता। आपके वाहन में फॉग लैम्प लगे हैं तो उन्हें ऑन रखें। कोहरे में न सिर्फ देखना महत्वपूर्ण है, बल्कि दूसरे को दिखाई देना भी महत्वपूर्ण है। हमेशा चौकस रहें और निम्नलिखित ऐहतियाती कदम उठाएं:

- कोहरे में हमेशा धीमी गति से गाड़ी को चलाएं।
- हेडलाइट ऑन और नीची (लो) बीम मोड में रखें।
- सुनिश्चित करें कि दूसरों को आप दिखाई दे रहे हैं। वाहन के फॉग लैम्प और पार्किंग लाइट ऑन करें।
- डिफ्रोस्टर (Defroster) और विंडस्क्रीन वाइपर (Windscreen Wiper) का इस्तेमाल करें।
- वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
- अगर गाड़ी चलाना असम्भव हो तो उसे किनारे पर खड़ी करें और सारे इंडीकेटर ऑन कर दें।

## पहाड़ पर ड्राइविंग:

पहाड़ों पर वाहन चलाना मुश्किल होता है और अनुभवी एवं निपुण ड्राइवर ही यह करें। जटिल भौगोलिक स्थिति होने के कारण पहाड़ों पर गाड़ी चलाना मैदानी इलाकों की तुलना में कठिन होता है। पहाड़ों में सड़कों का डिजाइन भी भिन्न प्रकार का है। असंख्य मोड़ होने के कारण ड्राइवर की दृष्टि सीमित दायरे पर होती है। वाहन को इधर–उधर मोड़ते रहने से ड्राइवर अधिक थकता है।

पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- यदि आप निपुण ड्राइवर नहीं हैं तो पहाड़ी सड़कों पर वाहन न चलाएं।
- गति सीमा का हमेशा पालन करें व मोड़ पर गति कम करें।
- हमेशा चौकस रहें और कार स्टीरियों आदि के कारण ध्यान भंग न होने दें।
- पहाड़ पर चढ़ने वाले यातायात को हमेशा रास्ता दें।
- कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं।
- मोड़, घुमाव और पुल आदि पर ओवटेक न करें।
- वाहन पर क्षमता से अधिक लदान न करें।

- मोड़ और कैंची मोड़ पर क्लच पैडल के इस्तेमाल से बचें।
- पहाड़ से उतरते समय वाहन को न्यूट्रल में न चलाएं।
- मोड़ पर हमेशा हॉर्न बजाएं एवं अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- पहाड़ पर यात्रा से पहले हमेशा वाहन, खासकर ब्रेक्स और टायर, की जांच कर लें।

**रात में ड्राइविंग:**

रात में दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अंधेरे में ड्राइविंग खतरनाक होती है और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि रात में आपकी दृश्यता दूरी कम हो जाती है।

**रात में सुरक्षित ड्राइविंग के उपाय:**

- सुनिश्चित कर लें कि वाहन की सभी हेडलाइट, टेललाइट तथा दिशा संकेतक सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।
- रात के समय वाहन धीमी गति से चलाएं।
- अपने वाहन तथा अन्य वाहनों के बीच अधिक दूरी बनाकर चलें।
- उच्च बीम का उपयोग केवल अंधेरे या दूरस्थ क्षेत्रों में करें जहां आप सड़क की सतह को आगे नहीं देख सकते हैं।
- सुप्रकाशित मार्गों पर लो–बीम पर गाड़ी चलाएं अर्थात हेडलाइट को डिप डाउन पर रखें।
- धुंध के मौसम में सदैव लो–बीम पर गाड़ी चलाएं।
- रात के समय सड़क पर कभी भी वाहन को खड़ा न करें क्योंकि रात्रि में दूर से आने वाले वाहन को यह पता नहीं चल पाता है कि सामने वाला वाहन खड़ा है या चल रहा है तब तक काफी देर हो चुकी होती है।
- कभी भी नशे में गाड़ी न चलाएं। शराब व्यक्ति के नेत्रों की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।
- रात के समय जब रेट्रो रिफलेक्टिव टेप पर प्रकाश पड़ता है तो वह चमकती है। अब सड़क पर वाहन खराब होने पर उसके पीछे रेट्रो ट्राइएंगल रखना अनिवार्य है। रेट्रो रिफलेक्टिव टेप आपकी दृश्यता को सुनिश्चित करता है फिर चाहे वाहनों की टेल लाइट खराब ही क्यों न हो। अपनी व वाहन की सुरक्षा के लिए रात के समय इसका प्रयोग अवश्य करें।

**वर्षा के दौरान ड्राइविंग:**

वर्षा के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्षा के दौरान या बर्फ पड़ते समय वाहन की ब्रेकें अपनी क्षमता से कम काम करती हैं। वर्षा के समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए:

1. वाहन को धीमी गति से चलाएं।
2. बार–बार ब्रेक पैडल को दबाते रहें ताकि पता चल सके कि ब्रेक सही काम कर रही है या नहीं।
3. अपने विंड–स्क्रीन वाइपरों (Windscreen Wiper) तथा डैमिस्टरों (Demister) का निरंतर प्रयोग करते रहें।
4. कई बार बारिश के पानी तथा तेल के कारण सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति में वाहनों के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। दुपहिया वाहन चालकों को ऐसी

स्थिति में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

5. अपने वाहन तथा अन्य वाहनों के बीच की दूरी बढ़ा लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपना वाहन रोकने के लिए समय व अंतर मिल सके।

6. तीखे मोड़ न काटें।

7. यदि तेज वर्षा हो रही हो तो अपने ब्लिंकर (Blinkers) ऑन रखें।

8. पानी से भरी सड़कों पर वाहन सावधानीपूर्वक तथा धीमी गति से चलाएं क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हो सकते हैं।

9. यदि आपके वाहन में पावर ब्रेक नहीं हैं तो अपने वाहन को अधिक सावधानी पूर्वक तथा अत्यंत धीमी गति से चलाएं।

10. जरूरी न हो तो ओवरटेकिंग न करें।

11. अगर आप कुशल चालक नहीं हैं तो पहाड़ी सड़क पर बारिश के दौरान गाड़ी न चलाएं।

12. सुनिश्चित कर लें कि आपके वाहन के टायर सही प्रकार से अनुरक्षित हों तथा उनका तला साफ व सही स्थिति में हो।

13. समझदारी से वाहन को चलाएं तथा पानी से भरी सड़कों पर तीव्र गति से न चलाएं अन्यथा उसके छीटें अन्य सड़क प्रयोक्ताओं पर पड़ सकते हैं।

14. अपने मड–फ्लेप (Mud-Flap) को सही स्थिति में रखें।

# एक अच्छे वाहन चालक के गुण

एक अच्छा चालक होने के लिए केवल वाहन को नियंत्रित करना ही नहीं अपितु अच्छे पूर्वानुमान गुण, सड़क पर खतरों को भांपने व समझने की अभिरूचि तथा क्षमता भी होनी चाहिए।

सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु अनुभव की कमी, वाहन की तीव्र गति, मदिरा/नशीले पदार्थों का सेवन, जल्दी पहुंचने की बेचैनी आदि कारण है।

**जब कभी जहां–कहीं आप वाहन चलाएं:**

- **अपनी गति का ध्यान रखे:** सड़क के प्रत्येक भाग के लिए गति सीमा निर्धारित होती है, जिसका निर्धारण वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। इस सीमा के किसी प्रकार का उल्लंघन चालक को जोखिमपूर्ण स्थिति में पहुंचा सकता है। तीव्र गति से चलने वाले वाहन को धीमी गति से चलने वाले वाहनों की तुलना में अधिक ब्रेकिंग दूरी की आवश्यकता होती है। ऐसे में मस्तिष्क द्वारा दूरी का दृश्य परिकलन करने में गड़बड़ी होती है। जब आप सीमा गति से अधिक तीव्रता से वाहन चलाते हैं तो ईंधन की खपत अधिक होती है और आपके/अन्यों के जीवन को भी खतरा होता है।
- **विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं का सामना करना:** जिस सड़क का आप प्रयोग कर रहे हैं उसे अपनी सम्पत्ति न समझें। आपको सड़क पर ऐसे अनेक सह–चालक या प्रयोक्ता मिल जाएंगे जिनका स्वभाव, परिवेश तथा शिष्टाचार आदि आप जैसा न हो। आप सड़क पर इन सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं का सामना करते हैं। इस प्रकार, ड्राइविंग केवल सड़क पर वाहन चलाना ही नहीं है बल्कि धैर्य और दया की आदतों को विकसित करना भी है। सड़क पर आपका सामना झगड़ालू चालकों, बत्तमीजी करने वाले, परेशान करने वाले, शराबी चालकों से हो सकता है। आपको इन सभी का सामना करना पड़ेगा और तभी आप स्वयं को एक अच्छा चालक मान सकते हैं।
- **धैर्य रखें:** एक अच्छे चालक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्यवान बने रहना। आतुर चालक प्रायः गलतियां करते हैं। ऐसे चालक लाल बत्ती को पार करते हैं, दूसरी गाड़ियों से चिपक कर चलते हैं और थोड़ा सा उकसाने से ही परेशान हो जाते हैं। इससे वे सड़क पर अत्यंत असुरक्षित बन जाते हैं।
- **दूसरे प्रयोक्ताओं को समय और स्थान दें:** अगर आप लाल बत्ती पर हॉर्न बजाते हैं, आपको अपनी आदत सुधारनी होगी। कई बार सड़क पर कुछ चालक धीमी गति पर चलते हैं और अन्य चालक हॉर्न बजा–बजाकर उन्हें परेशान करते हैं तथा उनसे आगे निकलने का प्रयास करते हैं। वह नौसिखिया हो सकता है या उसने ड्राइविंग अभी हाल ही में आरंभ की या उसकी कार में कुछ समस्या भी हो सकती है। यदि आप निरंतर हॉर्न बजाते रहेंगे तो वह घबराकर सड़क पर कुछ गलती कर सकता है। हर कोई जन्म से ही चालक नहीं होता, इसलिए ड्राइविंग सीखने में दूसरे की मदद करें और सड़क पर धैर्य रखें।
- **अन्यों की गलती के लिए तैयार रहें:** आप एक कुशल चालक हो सकते हैं किन्तु यह आशा न करें कि सड़क पर अन्य सभी कुशल चालक हों। वे गलती कर सकते हैं और आपको उसकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए आप दूसरों की गलती का हर्जाना भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में उत्तेजित न हों और शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति से निपटें। क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव ही गलत होता है।
- **अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केन्द्रित करें:** एकाग्रता ड्राइविंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संगीत, सेल फोन, बातूनी साथी या बड़े बिलबोर्डों व होर्डिंगों आदि से आपका ध्यान भंग न होने दें। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। इनसे आप सड़क पर आसानी से ध्यान खो सकते हैं।

अध्याय—11

# सुनिश्चित करें सड़क पर आप दिखाई दें

दृश्यता वह क्षमता और परिस्थिति है जिससे सड़क प्रयोक्ता अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को नजर आता है। देखना व दूसरों को दिखाई देना सभी सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए मूल आधार है। चालक द्वारा अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को देर से देख पाना सड़क दुर्घटनाओं का एक सामान्य कारण है। वाहनों के चालकों और यात्रियों की तुलना में सड़क यातायात से लगने वाली चोटों का खतरा पैदल/अन्य उपयोक्ताओं को अधिक होता है।

रात में सड़क में पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को देख पाना कठिन होता है, विशेष रूप से धुंध तथा वर्षा की परिस्थितियों में। चूंकि बच्चों का शारीरिक आकार छोटा होता है इसलिए सड़क पर उनके दिखाई न देने का खतरा और अधिक होता है।

**साइकिल सवार जरूर उपयोग करें:**

- अगला, पिछला तथा पहियों पर रिफ्लैक्टर
- साइकिल लैंप या लाइट
- रिट्रो—रिफ्लैक्टिव (Front-Back-Rear Wheel Reflector) जैकेट या हल्के रंग / चमकदार वस्त्र

(Visible) **सुदृश्य बने रहने के लिए बच्चों व पैदल यात्रियों को सड़क का प्रयोग करते समय इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें:**

- सुनिश्चित करें कि दूसरों को आप आसानी से नजर आएं, विशेष रूप से रात्रि और खराब मौसम में।
- दिन के समय चमकदार या फ्लोरोसेंट वस्त्र सर्वोत्तम होते हैं, विशेष रूप से घुंध के मौसम के दौरान।
- रात्रि के समय, रिफ्लैक्टिव (Reflective) सामग्री सर्वोत्तम होती है और कार की हेडलाइट की रोशनी को परावर्तित (Reflect) करती है।
- रात्रि या अंधेरे में फ्लोरोसेंट वस्त्र प्रभावी नहीं होते हैं। कपड़ों, स्कूल बैगों और उपकरणों पर रिफ्लैक्टिव टेप को चिपकाया जा सकता है।
- आगे की लाइट, पीछे की लाल लाइट और पीछे लाल रिफ्लैक्टर के बिना साइकिल चलाना अत्यंत खतरनाक है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी साइकिल में सभी आवश्यक उपकरण लगे हैं और वह सुचारू रूप से काम कर रहे हैं।
- जहां तक हो सके सुरक्षित स्थान से ही सड़क पार करें जैसे जैब्रा या पैलिकन क्रासिंग, सड़क ऊपरी पुल या अंडरपास।
- ग्रीन क्रास कोड का ही प्रयोग करें: अर्थात रूकें, देखें, सुनें और चलें।
- यदि आप रात्रि में बाहर निकले हैं तो उन मार्गों का प्रयोग करें जहां स्ट्रीटलाइट द्वारा व्यापक प्रकाश उपलब्ध हो और सुप्रकाशित स्थान से ही सड़क पार करें।

## अध्याय—12

# सड़क दुर्घटनाएं : महत्वपूर्ण जानकारी

**वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक सड़क दुर्घटनाएं**

| साल | दुर्घटना | मृत | घायल |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3168 | 1271 | 5764 |
| 2017 | 3114 | 1203 | 5452 |
| 2018 | 3110 | 1208 | 5551 |
| 2019 | 2873 | 1147 | 4903 |
| 2020 | 2239 | 893 | 3223 |
| 2021 | 2404 | 1052 | 3454 |
| 2022 | 2597 | 1032 | 4063 |
| जनवरी से अगस्त 2023 | 1399 | 564 | 2344 |
| **कुल** | **20904** | **8370** | **34754** |

भारत में वर्ष 2021 के दौरान लगभग 4.12 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनके कारण 1,53,972 लोगों की मृत्यु हुई और 3.84 लाख से अधिक लोग घायल हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 के दौरान लगभग 2597 सड़क दुर्घाटनाऐं हुई थी, जिनके कारण 1032 मृत्यु हुई और 4063 लोग घायल हुए। यह संख्या दर्शाती है कि हिमाचल में प्रत्येक दिन 7 सड़क दुर्घटना होती है, और प्रत्येक एक दिन में सड़क दुर्घटना में लगभग 2 व्यक्तियों की मृत्यु होती है।

सड़क दुर्घटना किसी भी उपयोक्ता के लिए एक ना चाहने वाला हादसा होता है। अधिकतर सड़क उपयोक्ता सड़क के इस्तेमाल के बारे में सामान्य नियमों और सुरक्षा नियमों के बारे में अच्छी तरह परिचित नहीं होते हैं, जिस कारण दुर्घटनाएं एवं टक्कर होती हैं। हम कुछ दुर्घटनाओं के कारणों पर प्रकाश डाल रहे हैं जो चालकों के गलत आचरणों के कारण होती है, जैसे:

1. बहुत तेज गति से वाहन चलाना।
2. नशे में गाड़ी चलाना
3. ड्राइवर का ध्यान बंटाने वाली विषय
4. लाल बत्ती को लांघना
5. सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा
6. लेन में ड्राइविंग न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग

**बहुत तेज गति से वाहन चलाना:** अधिकतर घातक दुर्घटनाएं बहुत तेज गति के कारण होती हैं। गति में तीव्रता से वृद्धि, दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीरता बढ़ाती है। कम गति से चलने वाले वाहनों की तुलना में तेज गति के वाहनों की दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है और तेज गति में

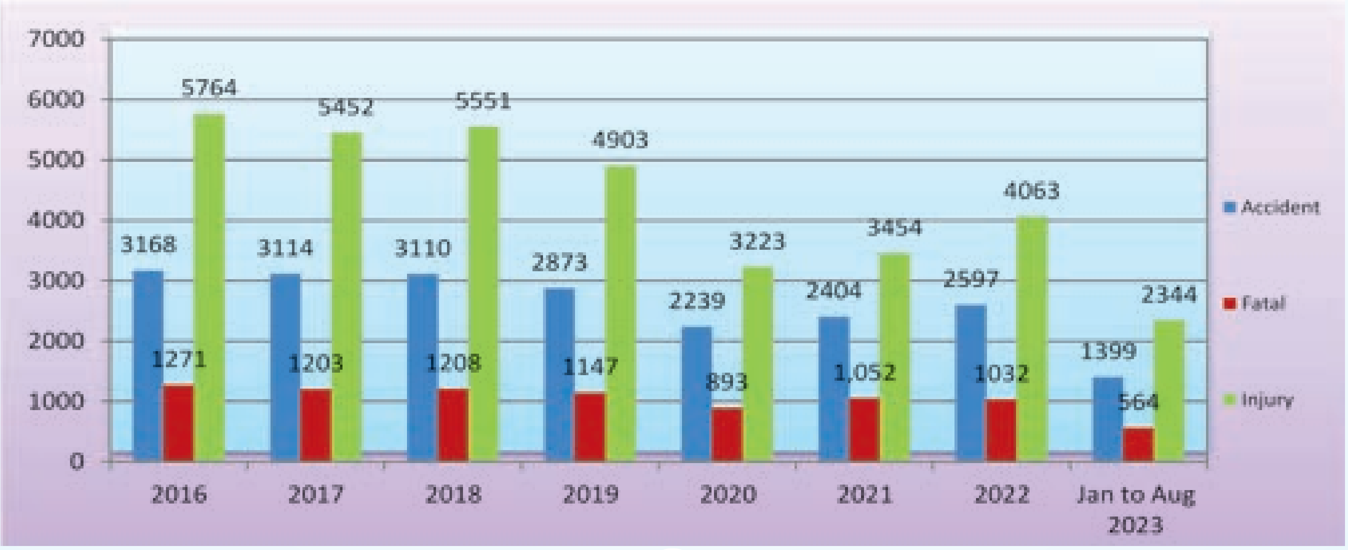

दुर्घटना की गंभीरता भी अत्यधिक होगी। गति जितनी अधिक, उतना ही अधिक जोखिम। बहुत तेज गति की स्थिति में वाहन रोकने के लिए अधिक दूरी यानि 'ब्रेकिंग डिस्टेन्स' की जरूरत पड़ती है। कम गति वाले वाहन कम दूरी पर ही रूक जाते हैं, जबकि तेज गति वाले वाहन लंबी दूरी के बाद ही रोके जा सकते हैं और फिसलते भी हैं। तेज गति से चलने वाले वाहन की टक्कर के दौरान गहरा प्रभाव होगा, इसलिए अधिक चोट लगेगी। तेज गति से चलाने पर फैसला लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके चलते भूल हो जाती है और अंततः टक्कर हो सकती है।

**नशे में गाड़ी चलाना:**

शराब के प्रभाव में वाहन चलाने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, निर्णय की एक क्षणिक चूक स्थायी त्रासदी में बदल सकती है। शराब के सेवन से ध्यान केन्द्रित करने में कमी आती है। इससे मानव शरीर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। मस्तिष्क के निर्देश पर अमल में शारीरिक अंग अधिक समय लेते हैं। सिर चकराने से यह दृष्टि को कमजोर बनाता है। शराब डर कम करती हैं और जोखिम लेने को उकसाती है। इन सभी से दुर्घटनाएं होती है और कई बार ये घातक भी होती हैं। अल्कोहल के अलावा, कई नशीले पदार्थ एवं औषधियां ड्राइविंग संबंधी निपुणताओं और ध्यान केंद्रित करने पर प्रतिकूल असर डालती हैं। सर्वप्रथम, हम यही सलाह देंगे कि अल्कोहल का सेवन न करें। फिर भी, यदि आप अल्कोहल के बिना खुशी मनाना अधूरा महसूस करते हैं तो उसका सेवन करने पर वाहन न चलाएं। शराब न पीने वाले किसी मित्र से आप उसे अपने घर छोड़ने को कहें।

**ड्राइवर का ध्यान बंटाने वाली विषय :**

गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा भी ध्यान बंटने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ध्यान बंटाने वाले कारण वाहन के बाहर या भीतर हो सकते हैं। आजकल ध्यान बंटाने वाली एक चीज है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बातचीत करना। फोन पर बात करते समय, हमारा दिमाग भाषा प्रसंस्करण, स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने सहित कई संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संलग्न होता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, जो सुरक्षित रूप से ड्राइव करने की हमारी क्षमता को कम करती है। ड्राइविंग के दौरान टेलीफोन न करें और न ही सुनें। यदि टेलीफोन अत्यावश्यक हो तो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर बातचीत करें।

सड़क पर ध्यान हटाने वाली कुछ अन्य बातें इस प्रकार हैं:

- ड्राइविंग करते समय शीशे समायोजित करना।
- वाहन में स्टीरियो / रेडियो को चलाना

- सड़क पर जानवर
- विज्ञापन और सूचना पट्ट।
- वाहन चलाते हुए खाना/पीना।

इन चीजों से ड्राइवर को अपना ध्यान भंग नहीं करना चाहिए और मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) एवं ध्यान बंटाने वाली बाहरी विषयों के दौरान सुरक्षित रहने के लिए गति धीमी रखनी चाहिए।

**लाल बत्ती को लांघना:** ट्रैफिक लाइट जंप करना एक खतरनाक और अवैध व्यवहार है जो चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को खतरे में डालता है। स्पष्ट जोखिमों के बावजूद, कुछ चालक लाल बत्ती के दौरान यातायात संकेतों और चौराहों को अनदेखा करते हैं। अध्ययन दर्शाते हैं कि यातायात संकेतों का पालन करने पर ड्राइवरों के समय की बचत होती है और यात्री सुरक्षित एवं समय से गंतव्य पर पहुंचते हैं। लाल बत्ती लांघने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपना स्वयं का जीवन जोखिम में डालता है, बल्कि सड़क के अन्य प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है। एक ड्राइवर की यह प्रवृति दूसरे ड्राइवर को भी लाल बत्ती लांघने के लिए उकसाती है और अंततः क्रॉसिंग पर अराजकता पैदा हाती है। चौराहे (इंटरसेक्शन) पर यह अराजकता यातायात जाम का प्रमुख कारण है। अंततोगत्वा प्रत्येक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर देर से पहुंचता है। यह भी देखा गया है कि लाल बत्ती लांघने वाले अक्सर सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।

**सीट बेल्ट और हेलमेट से सुरक्षा साधनों की उपेक्षा:**

चार पहियों के वाहन में हर सवारी के लिए सीट बेल्ट अब अनिवार्य है और इसे न बांधने पर दंडित किया जाता है। यही बात दुपहिया वाहनों में हेलमेट न लगाने पर लागू होती है। हमें चाहिए कि निर्धारित मानकों (विशेष रूप से ISI मार्क) ISI वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें व उसे ठीक से बांधे और पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें।

**पर्यावरण पर यातायात के हानिकारक प्रभाव:**

1. सुरक्षा 2. शोरगुल 3. जाम व भीड़–भाड़ 4. वायु प्रदुषण 5. सौंदर्य बिगाड़ना।

**सड़क पर विभिन्न कारणों से किस प्रकार दुर्घटनाएँ होती हैं:**

**ड्राइवर:** बहुत तेज गति से गाड़ी चलाना, अंधाधुंध ड्राइविंग, नियमों का उल्लंघन, चिन्ह न समझना, थकान, मदिरापान।

**पैदल यात्री:** लापरवाही, गलत जगहों पर सड़क पार करना, वाहन मार्ग पर चलना, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पार करना।

**यात्री:** यात्रियों द्वारा अपने शरीर का कोई भाग बाहर निकालना, ड्राइवर के साथ बातचीत करना, गलत तरफ से नीचे उतरना और चढ़ना, पायदान पर रहकर सफर करना, दौड़कर बस पकड़ना, हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग न करना।

**वाहन:** ब्रेक या स्टीयरिंग का फेल होना, टायर फटना, अपर्याप्त हेडलाइटें, ओवरलोडिंग (अधिक वजन लदान), लदे सामान का वाहन से बाहर निकला हुआ होना।

**सड़क:** गहरे गड्डे, क्षतिग्रस्त सड़क, कटी सड़क, ग्रामीण सड़कों का राजमार्गों से मिलना, मार्गपरिवर्तन (डायवर्जन), अवैध गति अवरोधक। अनुचित संकेत व चिन्ह, खराब प्रकाशव्यवस्था, खराबजामिति (Poor Geometry)।

**मौसम:** कोहरा, बर्फ, भारी वर्षा, आंधी–तूफान, ओलावृष्टि।

**दुर्घटनाओं के सीधे परिणाम:**

1. गंभीर चोट (मृत्यु) 2. चोट 3. अपंगता 4. सम्पत्ति की हानि।

# अध्याय—13

## सड़क पर आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नियम और विनियम

1. **अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और साधारण जनता के प्रति कर्तव्य:** कोई भी यान सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से चलाया, रोका या खड़ा नहीं किया जाएगा, जिसके कारण अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा, या असुविधा होने की संभावना हो सकती है।

2. **चालकों और सवारियों के कर्तव्य:**

(1) प्रत्येक चालक हर समय पूरी देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएगा।

(2) चालक यान चलाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं उसके पूर्ण नियंत्रण में हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से यान चलाने के लिये पूरी तरह सक्षम है।

(3) चालक हर समय सड़क और यातायात पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखेगा और पूरा ध्यान केंद्रित करेगा ताकि किसी भी समय ध्यान भंग/भटकने की स्थिति उत्पन्न होने या उसकी संभावना से उसका ध्यान भटकने से बच सके।

(4) चालक और यात्री पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के रूप में सबसे कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएंगे।

(5) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान चलाते या उसे स्थिर स्थिति में खड़ा करते समय, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं या किसी सम्पत्ति के स्वामी को ऐसा करने के कारण किसी प्रकार की बाधा या अनुचित असुविधा न हो।

(6) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी दृष्यता बाधित न हो और उसकी सुनने की शक्ति यान के यात्रियों, पशुओं, भार, यान में रखे उपकरण या यान की स्थिति के कारण प्रभावित न हो।

(7) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि वह और यान के अन्य सवार सीट बेल्ट बांध लें, यदि यान में वह प्रदान किये गये हैं।

(8) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपयुक्त बच्चों की सुरक्षित प्रणाली में बिठाया गया है, जहां भी वह प्रदान किये जाते हैं।

(9) जहां कहीं भी किसी मोटरसाइकिल साइडकार के साथ या उसके बिना प्रदान की जाती है या विधि के अंतर्गत, पिछली सीट पर बैठा सवार और साइडकार पर बैठे सवार को सुरक्षात्मक सिर के उपकरण (हेलमेट) या कानून के अंतर्गत उस समय निर्दिष्ट किसी अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनना होगा।

(10) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान में तेज संगीत नहीं चलाया जाएगा।

(11) यान चलाते समय चालक डिजिटल गतिशील पिक्चरें या वीडियो, नहीं देखेगा, सिवाय जहां मार्ग प्रदर्शन के लिए ऐसा करना आवश्यक है परंतु चालक उस उपकरण का मार्ग प्रदर्शन के लिये इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि उसका ध्यान यान चलाते समय भटक न जाए।

(12) चालक को तत्समय प्रचलित शराब और नशीली दवाओं और धूम्रपान निषेद्ध से संबंधित सभी विधियों का सख्ती से पालन करना होगा, और वह सुनिश्चित करेगा कि अन्य दल, सवार और यात्री, यदि कोई है, वह भी इनका अनुपालन करेंगे।

(13) यान पर बैठते और उसमें से बाहर निकलते समय चालक अपनी और अपनी सवारियों की देखभाल करेगा, ताकि वह अपने साथ अन्य कर्मचारीवृंद, यात्रियों तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

(14) चालक किसी भी सार्वजनिक स्थान में ऐसा यान नहीं चलाएगा, जो उसके ज्ञान में, साधारण देखभाल करते समय दोषपूर्ण पाया जाता है, और कथित दोष के कारण यान चलाने से यान के स्वामी के या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को अनुचित खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है।

(15) यदि यान चलाते समय उसमें कोई तकनीकी

त्रुटि आ जाता है, तब जितनी जल्दी संभव होगा चालक यान को तुरन्त सड़क से सुरक्षित रूप में दूर ले जाएगा: परंतु कि बैटरी चालित दुपहिया यान चलाते समय कोई तकनीकी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा सकता है।

(16) मोटर साइकिल या तिपहिया पर सवारी करते या चलाते समय, चालक या सवारी किसी अन्य यान को न पकड़ेगा या न ही धक्का देगा।

(17) मोटर साइकिल या तिपहिया यान का चालक हर समय अपने दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर रखेगा।

(18) चालक अपने पैर पैडल या फुटरेस्ट से केवल उस समय हटायेगा जब सड़क की स्थितियां या सुरक्षा ऐसा करने के लिये आवश्यक हैं।

**3. सिग्नलों के संकेत:**

(1) चालक स्पष्ट रूप से बाएं या दाएं मुड़ने और किसी कौशल करने से पहले अपनी लेन बदलने के इरादे का यान में लगे यांत्रिक या बिजली उपकरणों को उपयोग कर या हाथ से संकेत करेगा।

(2) किसी मामले में यदि यान में यांत्रिक या विद्युत संचालित उपकरण नहीं लगाए गये या, कथित उपकरण लगाए गये हैं लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं, चालक निम्न निर्दिष्ट किये अनुसार हाथ से संकेत देगा —

(i) यान रोकने के लिए, चालक को दांई ओर अपना दांया हाथ यान के बाहर निकालकर लंबवत उठाना होगा;

(ii) दांई ओर मुड़ने या अन्य यान को पार कर सड़क के दांई ओर यान चलाने के लिये या किसी अन्य कारण, चालक को अपना दांया हाथ चालक यान के बाहर निकालकर अपने यान के दांई ओर क्षैतिज स्थिति में आगे हथेली की स्थिति में उठाना होगा;

(iii) बाईं ओर मोड़ने या सड़क के बाएं हाथ की ओर यान चलाने के लिए, चालक को अपने दाहिना हाथ बाहर निकालकर वामावर्त दिशा में घुमाना होगा;

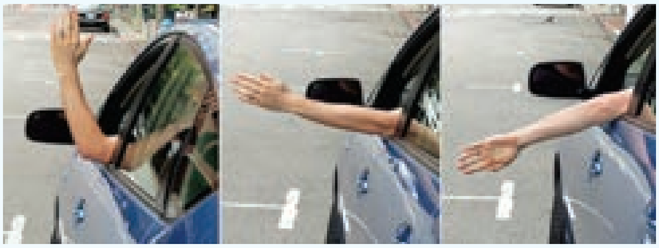

(iv) चालक अपने पीछे आने वाले यान को पिछेलना करने का संकेत दे सकता है, ऐसा करने के लिये चालक अपना दांहिना हाथ यान के दांई ओर क्षैतिज अवस्था में बाहर निकालेगा, और अर्ध — गोलाकार लय में आगे और पीछे घुमाएगा।

**4. यातायात नियंत्रण सिग्नल:** यातायात नियंत्रण सिग्नल पर पहुंचते समय, यान को अपनी गति धीमी करनी होगी और निम्न रीति से दिये गये नियंत्रण सिग्नलों का अनुपालन करना होगा अर्थात्:—

**(1) लाल यातायात बत्ती:**

(क) एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रण सिग्नल की लाल बत्ती के सामने, पैदल पार पथ से पहले रूकने की रेखा से पहले यान को रोकना होगा;

(ख) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं की गई है या, यदि चिह्नित की गई है मगर दिखाई नहीं दे रही है, यान पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा;

(ग) यदि वहां पर कोई पैदल पार पथ चिन्हित नहीं है, यान प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले रोकना होगा;

(घ) यातायात सिग्नल की हरी बत्ती बदलने पर यान को सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा;

(ड.) जब, एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, यातायात नियंत्रण सिग्नल द्वारा निरंतर लाल बत्ती जल्दी रुक—रुक कर चमकती है, सिग्नल पर प्रतीक्षा करने वाला यान, —

(i) पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोकना होगा;

(ii) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं है, या चिह्नित है पर दृष्य नहीं है, यान को पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से

पहले रोकना होगा;

(iii) यदि वहां चौराहे पर पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा चिन्हित नहीं है तब आप प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले यान को रोकेंगे;

(iv) पहले पैदल चलने वालों और प्रमुख सड़क पर चलने वाले यानों को रास्ते का अधिकार देने के बाद सिग्नल को पार कर यान आगे ले जाएं;

(च) खंड (क) से (घ) में निहित होते हुए भी, एक मोटर यान बांई ओर मुड़ सकता है ओर चौराहे पर उसके दांई ओर से आने वाले यातायात और बांई ओर से चौराहा पार करने वाले पैदल और साइकिल चालकों को रास्ते का अधिकार देने के बाद आगे बढ़ सकता है जब तक यातायात नियंत्रित उपकरण या सड़क का कोई संकेत लाल बत्ती जलने तक बांई ओर मुड़ना निषिद्ध नहीं करता;

**(2) हरी यातायात बत्ती:**

(क) जब एक चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त अन्य यातायात नियंत्रित सिग्नल पर हरी बत्ती जल रही या चालू है, हरी बत्ती के सामने मोटर यान,—

(i) यदि आगे का रास्ता साफ है तब यान को चौराहे में या पैदल पार पथ पर आगे ले जाएगा;

(ii) यदि किसी मामले में यातायात नियंत्रित सिग्नल द्वारा हरा दिशा तीर भी प्रदर्शित किया गया है तब केवल हरे दिशा तीर संकेत दिखाई देने पर यान को उस दिशा में आगे बढ़ाएं;

(iii) चौराहे के भीतर या पैदल पार पथ के बगल में उपस्थित किसी भी पैदल यात्री, और किसी अन्य यान को रास्ता दें जो हरी बत्ती बदलने के समय चौराहे के भीतर उपस्थित है;

(ख) जब, एक चौराहे पर, यातायात नियंत्रित सिग्नल द्वारा लगातार तेजी से रुक रूक कर हरे चमकते तीर के सिग्नल का सामना करने वाला मोटर यान पहले पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और जिस मार्ग पर चालक यान ले जा रहा है

उसमें मिलने वाले मार्ग पर रास्ता देने के बाद प्रदर्शित किये गये तीर की दिशा में यान आगे बढ़ाएगा।

**(3) नारंगी यातायात बत्ती:**

(क) जब, एक चौराहे पर या एक चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, किसी यातायात नियंत्रित सिग्नल पर नारंगी रोशनी होती है, नारंगी रोशनी के सामने आने वाला यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले यान को रोक देगा;

(ख) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं है या, यदि चिह्नित रेखा दिखाई नहीं देती, यान को पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा:

परंतु यदि कोई चिन्हित पैदल पार पथ न होने पर, यान प्राथमिक यातायात बत्ती के सिग्नल से पहले रूकेगा जब तक वह रूकने की रेखा को पार नहीं कर जाता या रूकने की रेखा के बहुत निकट पहुंच गया है कि अचानक यान रोकने के कारण पीछे से आने वाले यानों के साथ टकराने का खतरा हो सकता है;

(ग) चौराहे पर यातायात नियंत्रित सिग्नल पर तेजी से रूक रूक कर चमकने वाली नारंगी रोशनी के सामने या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यान को धीमा कर देगा और चौराहे पर या पैदल पार पथ पर बड़ी सावधानी के साथ पैदल यात्रियों और अन्य यानों को जो उससे पहले चौराहे पर हैं रास्ता देकर आगे यान ले जा सकता है।

**5. मैनुअल यातायात नियंत्रण:**

(1) जहां चौराहे पर या उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति यातायात नियंत्रित करता

है, चालक को अपना यान धीमा करना होगा और कथित अधिकारी या व्यक्ति के निर्देषों का पालन करना होगा।

(2) जहां वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा "रूकने" का सिग्नल दिया जाता है, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोक देगा।

(3) किसी मामले में "रूकने" की रेखा चिह्नित नहीं है या, यदि चिह्नित है पर दिखाई नहीं दे रही, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रोक देगा।

(4) किसी मामले में पैदल पार पथ चिह्नित नहीं है, चालक अपना यान गंतव्य सड़क के पास चौराहे पर रोक देगा।

(5) जब एक यान वर्दी में पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए संकेत के अनुपालन में "रोक" दिया गया है, वह तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कथित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा आगे बढ़ने का संकेत नहीं दिया जाता।

**6. सुरक्षित दूरी बनाए रखना:**

(1) अन्य यान के पीछे यान का चालक यातायात की अनुपातिक स्थिति के साथ अपने आगे चलने वाले यान के पीछे पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा ताकि यदि आगे चलने वाला यान अचानक धीमा हो जाता है या रूक जाता है तब वह सुरक्षित रूप से रूकने में सक्षम हो सके।

(2) जब आपके पीछे दूसरा यान चल रहा है, चालक बिना किसी अकाटय कारण के अचानक अपने यान को ब्रेक नहीं लगाएगा।

(3) वर्षा, बर्फबारी या सड़क पर किसी गंभीर तूफानी मौसम या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान, चालक आगे चलने वाले यान से थोड़ी ज्यादा दूरी बनाए रखेगा।

**7. पीछे यान चलाने पर प्रतिबंध (विपरीत दिशा में):**

(1) कोई भी चालक सड़क या यान स्थान में या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर पीछे की ओर (विपरीत दिशा में) यान नहीं चलाएगा:

परंतु चालक को यान पीछे करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि यान को पीछे करते समय किसी भी तरीके से किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा या अनुचित असुविधा तो नहीं होगी, और इस प्रकार यान को पीछे करने की गतिविधि की दूरी और अवधि उतनी हो सकती है जो यान को घुमाने के लिये यथोचित आवश्यक होगी।

(2) सार्वजनिक सड़क पर कोई भी मोटर यान विपरीत दिशा में नहीं चलाया जाएगा।

(3) "एक तरफा रास्ते" के रूप में नामित सड़क में कोई भी मोटर यान पीछे की ओर नहीं चलाया जाएगा।

**8. पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले यानों को प्राथमिकता दी जाएगी:**

(1) पहाड़ी और खड़ी सड़कों पर, जहां सड़क पर्याप्त रूप से चौड़ी न होने के कारण मोटर यानों को एक साथ एक दूसरे को बिना व्यवधान पहुंचाए पार करने में सक्षम नहीं करती, नीचे उतरने वाले यान का चालक–

(क) सड़क के बाईं ओर यान खड़ा करेगा; और

(ख) पहले ऊपर की ओर आगे बढ़ने/चढ़ने वाले यान को पार करने की अनुमति देगा।

**9. संज्ञापक आदेश:**

(1) वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी, यान को तकनीकी उपकरणों के सिग्नल देकर या सिग्नल डिस्क या लाल बत्ती के माध्यम से यान के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का सत्यापन करने के लिये उसे, या उसमें बैठे किसी यात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये यान को रोक सकता है, और यान के स्वामी या चालक को कथित अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

(2) प्रत्येक चालक को आज्ञापक संकेतकों, सड़क चिन्हों और सक्षम प्राधिकारी या वर्दी में पुलिस अधिकारी या उस समय ड्यूटी पर तैनात किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित सिग्नल देने के उपकरणों के माध्यम से दिये गये निर्देशों को पालन करना होगा।

(3) उस समय बावजूद किसी अन्य नियम या किसी अन्य आदेश, सड़क संकेत, चिन्ह या यातायात बत्ती सिग्नल के लागू नहीं होते हुए, और चालक का सावधानी और देखभाल करते हुए

अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में वर्दी पहने पुलिस अधिकारी के संकेतों या निर्देशों का पालन करना होगा।

(4) चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में उस समय वर्दी पहने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के मौखिक निर्देशों और संकेतों का पालन करना होगा, जिसमें रूकने या यान को पीछे करने या धीमा करने या वापस मोड़ने या किसी विनिर्दिष्ट दिशा में ले जाने या यान को यातायात की किसी पंक्ति में रखने का निर्देश शामिल है जैसा कथित पुलिस अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

**10. किसी प्रदर्शन के पास से गुजरना:**

(1) जब किसी प्रदर्शन के पास से गुजरते हैं जैसे किसी के संस्कार और अन्य जुलूस या सैन्य टुकड़ी या पुलिस दल द्वारा मार्च करते हुए, या जानवरों के झुंड या घोड़े की जीन या मवेशियों के पास से गुजर रहे हैं, चालक यान की गति को कम कर देगा और धीरे–धीरे सावधानी के साथ यान और प्रदर्शन के बीच पर्याप्त जगह छोड़कर पार कर जाएगा।

(2) यदि उप–विनियम (1) में वर्णित प्रदर्शन यान के आगे की सड़क पर गुजर रहा है, या वहां से गुजरने वाला है, तब चालक यान को रोक देगा और प्रदर्शन को पहले गुजर जाने देगा और उसके वहां से गुजरने तक यान नहीं चलाएगा।

**11. यातायात में रूकावट पर रोक:**

जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम या उसके लिये बनाए नियमों के अंतर्गत विधिमान्य अनुज्ञा नहीं दी है, कोई भी चालक नहीं करेगा –

(क) सड़क पर माल या किसी भी तरह की सेवाएं प्रदान करना; या

(ख) यान पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन।

**12. आपातकालीन सेवाओं के लिए नामित यान:**

(1) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के उप–नियम (4) के अंतर्गत आपातकालीन सेवाओं के लिये नामित एक यान का चालक, जिसमें एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया जाने वाला यान या अग्निशमन या कबाड़ सामान के प्रयोजनों के लिये या पुलिस यान, केवल तब बहु–ध्वनि भौंपू/भौंपू सायरन और बहु–रंग चमकने वाली बत्तीया अलार्म संचालित करेगा जब यान आपातकालीन सेवाओं पर बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दे रही है।

(2) एक आपातकालीन यान, जब उसकी बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी चलती है, अन्य यानों द्वारा उसे रास्ता देने का अधिकार होगा।

(3) किसी अत्यंत आपात स्थिति जैसे एक मानव जीवन को बचाने, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की गंभीर क्षति रोकने, अपराध रोकने या आवश्यक सेवाओं को नुकसान पहुंचने या आग बुझाने के मामले में, आपातकालीन यान का चालक बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी संचालित कर अत्यंत सावधानी, जिम्मेदारी के साथ कर सकता है –

(क) यातायात लाल बत्ती को पार कर सकता है;

(ख) विनिर्दिष्ट गति सीमा से अधिक गति में यान चला सकता है;

(ग) राजमार्ग पर यानों के ठहरने के स्थान पर यान चला सकता है;

(घ) किसी भी दिशा में यहां तक कि "प्रवेश निषिद्ध" या किसी "एक–तरफा" सड़क पर यान चला सकता है।

(4) आपातकालीन यानों के अंतर्गत उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट रूप से इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी –

(ङ) सबसे पहले, अग्निशमन यान को;

(च) दूसरे, एम्बुलेंस को;

(छ) तीसरे, पुलिस यान सेवा को; तथा

(ज) चौथे, राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये किसी भी अन्य यान को आपात यान प्रबंधन यान के रूप में जैसे आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं, पानी और बिजली की आपूर्ति या सार्वजनिक परिवहन यान।

(5) जब एक आपातकालीन यान, अपने बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी चालू कर किसी यान को पिछालन करता है, या किसी अन्य यान के मार्ग में पहुंचता या प्रवेश करता है, जो व्यक्ति कथित यान चला या सवारी कर रहा है, जब तक उसे पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता तब तक वह–

(क)आपातकालीन यान से रास्ते का अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, अपने यान को बांई ओर जितना व्यवहारिक रूप से संभव हो सकता है कम से कम समय में सड़क के किनारे तक ले जाएगा;

(ख) यान को रोक देगा, यदि आवश्यक लगता है, और जब तक आपातकालीन यान वहां से निकल नहीं जाता वह उसी स्थिति में स्थिर रूका रहेगा।

(6) चालक, जब तक आपातकालीन यान के चालक दल द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता, आपातकालीन यान जिसमें बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी दोनों काम कर रही हैं उनसे कम से कम पचास मीटर की दूरी बनाए रखेगा।

(7) सड़क के रखरखाव या सार्वजनिक उपयोगिता के अनुरक्षण यानों को सड़क मार्ग पर खड़ा किया जा सकता है, यदि आवश्यकता है, खतरों की चेतावनी लाइटों को जलाकर और खड़े किये गये यान के पीछे पचास मीटर दूरी पर आवश्यक जानकारियों के साथ चेतावनी उपकरणों को स्थापित कर, और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त सावधानी बरती जानी चाहिए।

**13. यान खराब होना:** किसी मामले में यदि दो पहियों से अधिक पहियों वाला कोई यान ऐसे स्थान पर खराब हो जाता है जहां से उसे एक स्थिर बाधा के रूप में पहचाना जा सकता है:–

(क) तुरन्त यान की खतरे की चेतावनी लाइटें चालू करनी होंगी;

(ख) तेज गति वाले राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर, खराब यान के पीछे पचास मीटर की दूरी पर परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएंगे;

(ग) जहां यान खड़ा है और सड़क पर आगे मोड़ है, मोड़ से पहले परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएंगे।

**14. यान को रस्सी से खींचना:**

(1) किसी भी दुपहिया मोटर यान को किसी अन्य यान द्वारा नहीं खींचा जाएगा।

(2) यान को खींचते समय अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।

(3) खींचे जाने वाले यान और खींचने वाले यान की दूरी पांच मीटर से अधिक नहीं होगी;

(4) अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को खींचने वाली रस्सियां या चेन साफ दिखाई देनी चाहिए।

(5) खींचे जाने वाले यान के सामने और पीछे सफेद पृष्ठभूमि पर एक रेट्रो परावर्ती "ऑन टो" संकेतक प्रदर्शित किया जाएगा जिसके अक्षरों की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और अक्षरों के बीच 2 सेंटीमीटर फासले सहित चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी और चालक रात के समय, अंधेरे में या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में यान को तब तक नहीं खींचेगा जब तक दोनों यानों की खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं ली जाती हैं: परन्तु यदि खींचे जाने वाले यान की खतरे की चेतावनी लाइटें काम नहीं कर रही, उन्हें खींचा नहीं जाएगा जब तक उनकी खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं दी जाती।

**15. यान की लाइटें:**

(1) चालक सांय काल, रात को और सुबह और जब दृष्यता बहुत कम होती है निर्दिष्ट प्रकाश उपकरणों का प्रयोग करेगा:

परन्तु एक दुपहिया मोटर यान चालक दिन के दौरान भी अपनी हैडलाइट को नीचे गिराकर जलाएगा।

(2) एक यान के लाइट उपकरण हर समय अच्छे काम करने की स्थिति में रखे जाने चाहिए और किसी भी प्रकाश व्यवस्था के उपकरण को किसी वस्तु या धूल आदि से छिपाया नहीं जाएगा।

(3) कोई चालक –

(क) केवल यान स्थल रोशनी जलाकर यान नहीं चलाएगा, जब तक उसे ऐसा वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता; तथा

(ख) अनुपयुक्त तरीके से या लंबी अवधि के लिये या अच्छी तरह से प्रकाशित सड़कों पर उच्च बीम का उपयोग नहीं करेगा।

(4) आनेवाले यान के निकट पहुंचने पर या जब किसी यान के पीछे बहुत निकट यान चलाते समय उच्च बीम को नीचे कर देगा।

(5) चालक कोहरे/फॉग लाइट केवल तब जलाएगा जब कोहरे, धूल, तूफान, बारिश या बर्फ गिरने के कारण दृश्यता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वह भी केवल हैड लैंप को नीचे गिरा कर।

**16. ट्रैक्टर और माल ढोने वाले यान चलाना:**

(1) ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठायेगा, या न ही उसे बैठने की अनुज्ञा देगा।

(2) माल ढोने वाले यान में चालक के केबिन में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराये या पुरस्कार के लिए नहीं बिठाया जाएगा।

**17. लेन अलग होना (लेन के भीतर लेन):**

शहरी क्षेत्रों में चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा की सड़कों पर, जहाँ कहीं भी विशेष रूप से सड़क के संकेत द्वारा अनुमति दी जाती है, मोटर साइकिल चालक तीन और चार पहियों के यानों के बीच में धीरे धीरे से आगे निकल सकते हैं जब मोटर साइकिल और अन्य यानों के बीच की गति का अंतर पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है।

**18. खतरनाक पदार्थों की ढुलाई पर प्रतिबंध:** किसी भी सार्वजनिक सेवा के यान का कोई चालक किसी प्रकार का विस्फोटक या अत्याधिक ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ अपने साथ, या किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा सिवाय ईंधन और स्नेहको को छोड़कर जो यान चलाने के लिये आवश्यक हैं।

**19. भार यान के बाहर भार उठा होना/निकलना:**

(1) चालक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि भार नियंत्रित करने और लादने के उपकरण सहित भार को यान पर सही तरीके से इस प्रकार से व्यवस्थित/रखा और नियंत्रित किया गया है कि किसी अकस्मात आपात स्थिति में ब्रेक लगाने या अचानक झटके के साथ यान के मुड़ने पर माल फिसलकर, गिरकर, घुमकर यान से न गिरे या अनावश्यक शोर उत्पन्न न करे।

(2) कोई भी चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे मोटर यान को चलाएगा जिस पर इस तरीके से माल लदा हुआ है कि जिसके कारण किसी व्यक्ति को खतरा पैदा होने की संभावना हो सकती है।

(3) भार या उसके किसी भाग के लिए, या यान में कोई अन्य वस्तु उसके ढांचे के बगल या आगे या पीछे बाहर की ओर नहीं निकलेगी, या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट ऊंचाई या भार की सीमा से अधिक नहीं होगी।

**20. रजिस्ट्रीकरण प्लेट:**

(1) सार्वजनिक सड़क पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विर्निदिष्ट रजिस्ट्रीकृत प्लेट प्रदर्शित किये बिना कोई भी यान चलाया या खड़ा नहीं किया जाएगा।

(2) यान के आगे और पीछे पंजीकृत प्लेटें स्पष्ट रूप से दृश्य और सुपाठय होंगी और इन रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर कोई भी वस्तु या धूल/गंदगी उसकी स्पष्ट दृश्यता में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को छोड़कर कोई अक्षर, शब्द, आकृति, चित्र या प्रतीक प्रदर्शित या गढ़े या लिखे नहीं जाएंगे।

(4) मोटर यान पर कोई भार या अन्य वस्तुओं को इस तरह से नहीं रखा जाएगा जिससे पूरी तरह या आंशिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्लेटें छिप जाएं।

**21. मोबाइल टेलीफोन और संचार युक्तियों का उपयोग:**

(1) चालक हाथ में पकड़े जाने वाले मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगा।

(2) कोई प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक नौसीखिया चालक को प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण करते समय मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

**22. दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण:**

(1) एक परिवहन यान का चालक हमेशा अपने साथ मूल रूप में निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा, सिवाय उन दस्तावेजों को छोड़कर जिन्हें प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा जब्त किया हो सकता है, अर्थात:—

(क) चालन अनुज्ञप्ति (Driving Licence);

(ख) कराधान प्रमाण पत्र (Certificate of Taxation);

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (Certificate of Registration);

(घ) बीमा प्रमाण पत्र (Certificate of Insurance);

(ड.) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (Fitness Certificate); और

(च) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution Under Control Certificate);

(2) खतरनाक या असुरक्षित माल परिवहन करने वाले यानों के चालक अपने साथ केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियमों 132 और 133 में निर्दिष्ट दस्तावेज रखेंगे।

(3) गैर—परिवहन यान के चालक अपने साथ हमेशा रखेंगे—

(क) चालन अनुज्ञप्ति (Driving Licence) और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution under Control Certificate); और

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) और बीमा प्रमाणपत्र (Certificate of Insurance) या उसकी प्रतिलिपि।

(4) यान का चालक, वर्दी में पुलिस अधिकारी, मोटर यान विभाग के अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग करने पर, निरीक्षण के लिये अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

परंतु एक चालक, यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज पहले से ही प्रस्तुत कर चुका है या किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या उसके निहित बनाए नियमों के अधीन जब्त किया गया है या किसी अन्य लागू अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, कथित दस्तावेज के बदले, कथित अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा उस संबंध मे एक रसीद या अन्य पावती जारी की जाएगी:

परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र या उप—विनियम (3) के खंड (ख,) में निर्दिष्ट बीमा प्रमाण पत्र चालक के पास उपलब्ध नहीं है, यान का स्वामी या चालक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कथित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, यदि प्राधिकरण द्वारा वह आवश्यक है।

*अधिक जानकारी के लिए कृपया मोटर यान (चालन) विनियम 2017 देखें।*

अध्याय—14

# मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019–जुर्माने का प्रावधान
# The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019- Provision of Penalties

| अनुच्छेद Section | उल्लंघन | जुर्माने का प्रावधान | Offence | Provision of Penalties |
|---|---|---|---|---|
| 177 | सामान्य जुर्माना– उन अपराधों के लिए जहां कोई जुर्माना विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है। | • पहला अपराध – ₹500 तक का जुर्माना<br>• दूसरा या बाद के अपराध– ₹1,500 तक का जुर्माना | General penalty - for offences where no penalty is specifically provided | • First offence - fine up to ₹ 500<br>• Second or subsequent offence - fine up to ₹ 1,500 |
| 177क 177A | धारा 118 के तहत सड़क विनियमों और अन्य विनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना | • ₹500 से कम नहीं होगा, लेकिन ₹1,000 तक बढ़ाया जा सकता है | Penalty for Violation of Road Regulation and other regulations made u/s 118 | Shall not be less than ₹ 500, but may extend to ₹ 1,000 |
| 178(1) | बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना | • ₹500 तक जुर्माना | Penalty for travelling without ticket | • Fine up to ₹ 500 |
| 179(1) | प्राधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना | • ₹2,000 तक जुर्माना | Penalty for disobedience of orders of authorities | • Fine up to ₹ 2,000 |
| 179(2) | जानकारी देने से मना करने पर जुर्माना | • 1 माह तक का कारावास ओर/या ₹2,000 का जुर्माना | Penalty for refusal to give information | Imprisonment for up to 1 month and/or fine of ₹ 2,000 |
| 180 | बिना लाईसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग की अनुमति देने पर जुर्माना | • 3 महीने तक की कारावास और/या ₹5,000 का जुर्माना | Penalty for allowing unauthorised use of vehicles without license | • Imprisonment for up to 3 month and/or fine of ₹ 5,000 |
| 181 | बिना लाईसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना | • 3 महीने तक का कारावास और/या ₹5,000 का जुर्माना | Penalty for driving without license | • Imprisonment for up to 3 month and/or fine of ₹ 5,000 |
| 182(1) | अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग के लिए जुर्माना | • 3 महीने तक की कारावास और/या ₹10,000 का जुर्माना | Penalty for driving despite disqualification | • Imprisonment for up to 3 month and/or fine of ₹ 10,000 |
| 182क(1) 182A(1) | मोटर वाहन और घटकों के निर्माण, रखरखाव, बिक्री और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए जुर्माना | • 1 वर्ष तक का कारावास और/या प्रति वाहन ₹1,00,000 का जुर्माना | Penalty for offences relating to construction, maintenance, sale and alteration of motor vehicles and components | Imprisonment for up to 1 year and/or fine of ₹ 1,00,000 per vehicle |

| अनुच्छेद Section | उल्लंघन | जुर्माने का प्रावधान | Offence | Provision of Penalties |
|---|---|---|---|---|
| 182क(2)<br>182A(2) | दोषपूर्ण वाहनों के लिए जुर्माना | ₹1,00,00,00,000 तक का जुर्माना | Penalty for defective vehicles | Imprisonment for up to 1 year and/or fine up to ₹ 1,00,00,00,000 |
| 182क(3)<br>182A(3) | नियमों के उल्लंघन में महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक की बिक्री के लिए जुर्माना | 1 वर्ष तक का कारावास और / या प्रति घटक ₹1,00,000 का जुर्माना | Penalty for sale of critical safety component in violation of rules | Imprisonment for up to 1 year and/or fine of ₹ 1,00,000 per component |
| 182क(4)<br>182A(4) | नियमों के उल्लंघन में रेट्रोफिटिंग में बदलाव के लिए जुर्माना | 6 महीने तक की कारावास और / या प्रति बदलाव ₹5,000 का जुर्माना | Penalty for Alteration of retrofitting in contravention of rules | Imprisonment for up to 6 months and / or fine of ₹ 5,000 per alteration |
| 182ख<br>182B | ओवरसाइज वाहनों के लिए जुर्माना | ₹5,000 से ₹10,000 | Penalty for Oversize vehicles | ₹ 5,000 to ₹ 10,000 |
| 183(1) | ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना | • एलएमवी के लिए ₹1,000 से ₹2,000<br>• मध्यम माल वाहनों या भारी माल वाहनों या भारी यात्री वाहनों के लिए ₹2,000 से ₹4,000<br>• बाद में दूसरा अपराध – ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करवा | Penalty for over-speeding | • ₹ 1,000 to ₹ 2,000 for LMV<br>• ₹ 2,000 to ₹ 4,000 for medium goods vehicles or heavy goods vehicles or heavy passenger vehicles<br>• Second subsequent offence - impounding of Driving license |
| 184 | खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर जुर्माना | • पहला अपराध–6 महीने से 1 वर्ष तक की कारावास और / या ₹1,000 से ₹5,000 तक जुर्माना<br>• बाद के अपराध (पहले अपराध से 3 वर्ष के भीतर) – 2 वर्ष तक की कारावास और / या ₹10,000 का जुर्माना | Penalty for dangerous driving | • First offence - Imprisonment 6 months to 1 year and/or fine ₹ 1,000 to ₹ 5,000<br>• Subsequent offence (within 3 years from first offence) - Imprisonment up to 2 years and/or fine of ₹ 10,000 |
| 185 | नशे में गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना | • पहला अपराध–₹10,000 का जुर्माना और / या 6 महीने तक का कारावास<br>• दूसरा और बाद का अपराध – ₹15,000 का जुर्माना और / या 2 वर्ष तक कारावास | Penalty for drunken driving | • First offence - fine of ₹ 10,000 and/or imprisonment up to 6 months<br>• Second and subsequent offence - fine of ₹ 15,000 and/or imprisonment up to 2 years |

| अनुच्छेद Section | उल्लंघन | जुर्माने का प्रावधान | Offence | Provision of Penalties |
|---|---|---|---|---|
| 186 | मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर वाहन चलाने के लिए जुर्माना | • पहला अपराध–₹1,000 तक का जुर्माना<br>• दूसरा और बाद का अपराध – ₹2,000 तक का जुर्माना | Penalty for driving when mentally or physically unfit to drive | • First offence - fine up to ₹ 1,000<br>• Second and subsequent offence - fine up to ₹ 2,000 |
| 187 | दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए जुर्माना (धारा 132(i), 133 और 134) | • पहला अपराध–₹5,000 का जुर्माना और/या 6 महीने तक का कारावास<br>• ₹10,000 का जुर्माना और/या 1 वर्ष की कारावास | Penalty for offences relating to accident (Section 132(i), 133 and 134) | • First offence - fine of ₹ 5,000 and/or imprisonment up to 6 months<br>• Second offence - fine of ₹ 10,000 and/or imprisonment up to 1 year |
| 189 | रेस लगाने और तेज गति से वाहन चलाने के लिए सजा | • पहला अपराध–₹5,000 का जुर्माना और/या 3 महीने तक का कारावास<br>• दूसरा अपराध – ₹10,000 का जुर्माना और/या 1 साल तक कारावास | Punishment for racing and speeding | • First offence - fine of ₹ 5,000 and/or imprisonment up to 3 months<br>• Second offence - fine of ₹ 10,000 and/or imprisonment up to 1 year |
| 190(1) | दोष के साथ असुरक्षित स्थिति में वाहन के उपयोग के लिए जुर्माना | • पहला अपराध–₹1,500 का जुर्माना | Penalty for Using vehicle in unsafe condition with defect | • First offence - fine of ₹ 1,500 |
| 190(1) | दोष के साथ असुरक्षित स्थिति में वाहन के उपयोग जिसके फलस्वरूप शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान होता है, के लिए जुर्माना | • पहला अपराध–₹5,000 का जुर्माना और/या 3 महीने तक कारावास<br>• दूसरा अपराध– 6 महीने तक की कारावास या ₹10,000 रूपये तक का जुर्माना | Penalty for Using vehicle in unsafe condition with defect resulting in bodily injury or damage to property | • First offence - fine of ₹ 5,000 and/or imprisonment upto 3 months<br>• Second offence - Imprisonment upto 6 months or fine upto ₹ 10,000 |
| 190(2) | सड़क सुरक्षा, ध्वनि/वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन चलाने पर जुर्माना | • पहला अपराध–3 महीने तक की कारावास और/या ₹10,000 रूपये तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्यता<br>• दूसरा अपराध – 6 महीने तक की कारावास और/या ₹10,000 रुपये तक का जुर्माना | Penalty for driving vehicle violating road safety, noise/air pollution standards | • First offence - Imprisonment upto 3 months and/or fine of upto ₹ 10,000 and disqualification for holding license for 3 months<br>• Second offence - Imprisonment upto 6 months and/or fine upto ₹ 10,000 |

| अनुच्छेद Section | उल्लंघन | जुर्माने का प्रावधान | Offence | Provision of Penalties |
|---|---|---|---|---|
| 192(1) | बिना पंजीकरण वाहन के उपयोग के लिए जुर्माना | • पहला अपराध–₹2,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना<br>• दूसरा या बाद का अपराध–जुर्माना ₹5,000 से ₹10,000 और/या 1 वर्ष तक की कारावास | Penalty for using vehicle without registration | • First offence - fine of ₹ 2,000 to ₹ 5,000<br>• Second or subsequent offence - fine ₹ 5,000 to ₹ 10,000 and/or imprisonment up to 1 years |
| 192क(1) 192A(1) | बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने पर जुर्माना | • पहला अपराध–6 महीने तक का कारावास और ₹10,000 का जुर्माना<br>• दूसरा अपराध– 6 महीने से 1 वर्ष तक की कारावास और/या ₹10,000 रूपये का जुर्माना | Penalty for using vehicle without permit | • First offence - Imprisonment upto 6 months and fine of ₹ 10,000<br>• Second offence - Imprisonment between 6 months to 1 year and/or fine of ₹ 10,000 |
| 192ख(1) 192B(1) | ऐसे मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफलता | • वार्षिक सड़क कर का पांच गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर का एक तिहाई जुर्माना, जो भी अधिक हो | Fails to make an application for registration of such motor vehicle | • Fine up to five times the annual road tax or one-third of the lifetime tax of the motor vehicle whichever is higher. |
| 192ख(2) 192B(2) | एक डीलर होने के नाते, नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफलजा | • वार्षिक सड़क कर का पंद्रह गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर का एक तिहाई जुर्माना, जो भी अधिक हो | Being a dealer, fails to make an application for the registration of a new motor vehicle | • Fine fifteen times the annual road tax or the lifetime tax of the motor vehicle whichever is higher |
| 192ख(3) 192B(3) | एक मालिक होने के नाते किसी भी सामग्री विशेष, या उत्कीर्ण इंजन नंबर या चेसिस नंबर में त्रुटि वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन | 6 महीने से 1 वर्ष तक की कारावास और वार्षिक सड़क कर की राशि के दस गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर का दो–तिहाई, जो भी अधिक हो, के बराबर जुर्माना | Being an owner make an application for registration of motor vehicle with false in any material particular, or the engine number or the chassis number embossed | Imprisonment of 6 months to 1 year and a fine equal to ten times the amount of the annual road tax or two-third the lifetime tax of the motor vehicle, whichever is higher. |
| 192ख(4) 192B(4) | एक डीलर होने के नाते किसी भी सामग्री विशेष या उत्कीर्ण इंजन नंबर या चेसिस नंबर में त्रुटि वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन | 6 महीने से 1 वर्ष तक की कारावास और वार्षिक सड़क कर की राशि के दस गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर का दो–तिहाई, जो भी अधिक हो, के बराबर जुर्माना | Being a dealer make an application for registration of motor vehicle with false in any material particular or the engine number or the chassis number embossed | Imprisonment of 6 months to 1 year and a fine equal to ten times the annual road tax or two third the lifetime tax of the motor vehicle whichever is higher |

| अनुच्छेद Section | उल्लंघन | जुर्माने का प्रावधान | Offence | Provision of Penalties |
|---|---|---|---|---|
| 193(1) | एजेंटों और प्रधारकों के लिए सजा | • पहला अपराध–₹1,000 का जुर्माना<br>• दूसरा या बाद का अपराध–6 महीने तक का कारावास और/या ₹2,000 का जुर्माना | Punishment for agents and canvassers | • First offence - fine of ₹ 1,000<br>• Second or subsequent offence - Imprisonment up to 6 months and/or fine of ₹ 2,000 |
| 193(2) | एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते हुए धारा 93 के प्रावधानों का उल्लंघन | • जुर्माना–₹25,000 से ₹1,00,000 | Engages as an aggregator in contravention of the provisions of section 93 | • Fine - ₹ 25,000 to ₹ 1,00,000 |
| 193(3) | एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते हुए धारा 93 के प्रावधानों का उल्लंघन | • ₹5,000 का जुर्माना | Operates as aggregator in contravention of the provisions of section 93 | • Fine - ₹ 5,000 |
| 194(1) | ओवरलोडिंग के लिए सजा | ₹20,000 और अतिरिक्त भार के भार उतारने के लिए शुल्क के भुगतान के लिए देयता के साथ अतिरिक्त भार के प्रति टन अतिरिक्त ₹2,000 का जुर्माना | Punishment for overloading | Fine ₹ 20,000 and additional ₹ 2,000 per tonne of excess load together with the liability to pay charges for off-loading of the excess load |
| 194(1क) 194(1A) | भार के पार्श्व/आगे/पीछे विस्तार के लिए जुर्माना | ₹20,000 का जुर्माना और भार उतारने के लिए शुल्क | Punishment for lateral / front / rear extension of load | Fine of ₹ 20,000 and charges for offloading |
| 194(2) | तौल के लिए वाहन को रोकने और जमा करने से मना करने पर सजा | ₹40,000 का जुर्माना | Punishment for refusal to stop and submit vehicle for weighing | Fine of ₹ 40,000 |
| 194क 194A | अधिक यात्रियों के वहन के लिए जुर्माना | ₹200 प्रति अतिरिक्त यात्री | Penalty for Carriage of excess passengers | ₹ 200 per excess passenger |
| 194ख(1) 194A(1) | सैफ्टी बेल्ट और बच्चों को बैठाने में विफल रहने पर सजा | ₹1,000 का जुर्माना | Punishment for failure to use safety belts and seating of children | • Fine of ₹ 1,000 |
| 194ख(2) 194A(2) | एक मोटर वाहन चलाता है या किसी ऐसे बच्चे के साथ मोटर वाहन चलाता है या चलाने की अनुमति देता है, जो चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, सुरक्षा बेल्ट या बाल सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है | ₹1,000 का जुर्माना | Drives a motor vehicle or cause or allows a motor vehicle to be driven with a child who, not having attained the age of fourteen years, is not secured by a safety belt or a child restraint system | • Fine of ₹ 1,000 |

| अनुच्छेद Section | उल्लंघन | जुर्माने का प्रावधान | Offence | Provision of Penalties |
|---|---|---|---|---|
| 194ग 194C | मोटर साइकिल चालकों और पिछली सीट पर सवार लोगों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए जुर्माना | ₹1,000 का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रखने की अयोग्यता | Penalty for violation of safety measures for motor cycle drivers and pillion riders | Fine of ₹ 1,000 and disqualification from license for 3 months |
| 194घ 194D | हेलमेट न पहनने पर जुर्माना | ₹1,000 का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रखने की अयोग्यता | Penalty for not wearing protective headgear | Fine of ₹ 1,000 and disqualification from license for 3 months |
| 194ङ 194E | आपातकालीन वाहनों को निर्बाध आवागमन की अनुमति देने में विफलता के लिए जुर्माना | ₹10,000 का जुर्माना और/या 6 महीने तक कारावास | Penalty for Failure to allow free passage to emergency vehicles | Fine of ₹ 1,000 and/or imprisonment upto 6 months |
| 194च 194F | हार्न के इस्तेमाल पर जुर्माना | • पहला अपराध– ₹1,000 का जुर्माना<br>• दूसरा और बाद का अपराध – ₹2,000 का जुर्माना | Penalty for use of horns | • First offence - Fine of ₹ 1,000<br>• Second and subsequent offence - Fine of ₹ 2,000 |
| 196 | बिना बीमा के वाहन चलाने | • पहला अपराध– ₹2,000 का जुर्माना और/या 3 महीने तक कारावास<br>• दूसरा अपराध – ₹4,000 का जुर्माना और/या 3 महीने तक कारावास | Punishment for driving uninsured vehicle | • First offence - Fine of ₹ 2,000 and/or imprisonment up to 3 months<br>• Second offence - Fine of ₹ 4,000 and/or imprisonment up to 3 months |
| 197 (1) | वैध प्राधिकरण के बिना वाहन ले जाने पर जुर्माना | ₹5,000 का जुर्माना और/या 3 महीने तक कारावास | Penalty for Taking vehicle without lawful authority | Fine of ₹ 5,000 and/or imprisonment up to 3 months |
| 197 (2) | बलपूर्वक मोटर वाहन जब्त करना | • ₹5,000 का जुर्माना और/या 3 महीने तक कारावास | Penalty Seizing motor vehicle by force | Fine of ₹ 5,000 and/or imprisonment up to 3 months |
| 198 | वाहन के साथ अनाधिकृत छेड़छाड़ के लिए जुर्माना | ₹1,000 का जुर्माना | Penalty for Unauthorised interference with vehicle | Fine of ₹ 1,000 |
| 198क 198A | सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के मानकों का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना | ₹1,00,000 तक का जुर्माना | Penalty for failure to comply with standards for road design, construction and maintenance | Fine of up to ₹ 1,00,000 |

| अनुच्छेद Section | उल्लंघन | जुर्माने का प्रावधान | Offence | Provision of Penalties |
|---|---|---|---|---|
| 199क 199A | किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए जुर्माना | • अभिभावक मालिक को दोषी माना जाएगा।<br>• ₹25,000 का जुर्माना और 3 वर्ष तक का कारावास और 12 महीने के लिए मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द करना।<br>• किशोर शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष की आयु तक अपात्र | Punishment for offences by juveniles | • Guardian owner deemed guilty.<br>• Fine of ₹ 25,000 and imprisonment up to 3 years, and cancellation of registration of motor vehicle for 12 months.<br>• Juvenile ineligible to obtain learners' license until the age of 25 years |
| 199ख 199B | जुर्माने का संशोधन | जुर्माने की वार्षिक वृद्धि 10% तक | Revision of fines | Annual increase of fines up to 10% |
| 201 | यातायात के सुप्रवाह में बाधा उत्पन्न करने पर जुर्माना | ₹500 तक का जुर्माना | Penalty for causing obstruction to free flow of traffic | Fine up to ₹ 500 |

चार पहिया वाहन चालकों व अगली और पिछली सीट पर बैठी सवारियों द्वारा सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य है। इसकी अवहेलना दण्डनीय अपराध है और 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

यदि चालक और अगली सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट पहनी हो तो सड़क हादसे में मृत्यु का जोखिम 45% तक और गंभीर चोट लगने का जोखिम 50% तक कम आंका गया है।*

यदि Child Restraints का उपयोग चार पहिया वाहन चलाते समय बच्चों पर किया गया हो तो, ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर मृत्यु होना 60% से कम आंकी गई है।*

**दुर्घटनाओं से बच पाएगें जब नियमित सीट बेल्ट लगाएगें।**

(*Source : World Health Organization)

# सड़क सुरक्षा में युवाओं की भागीदारी

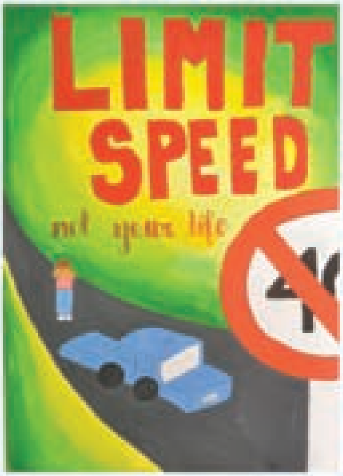

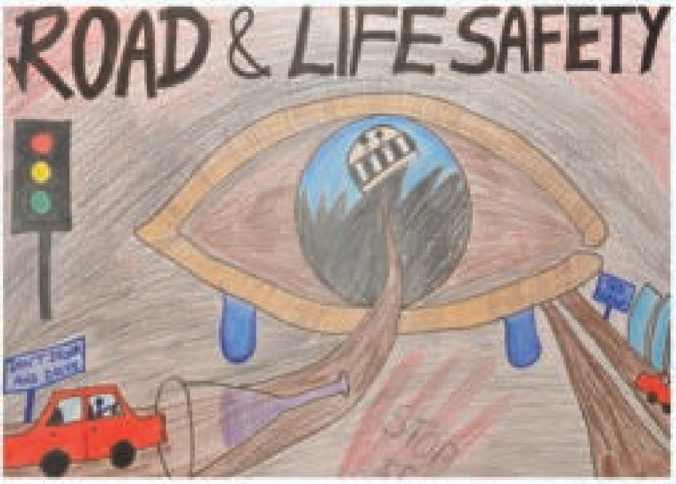

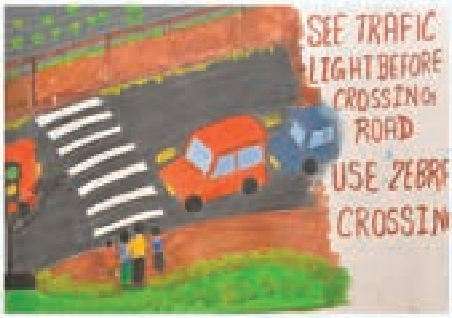

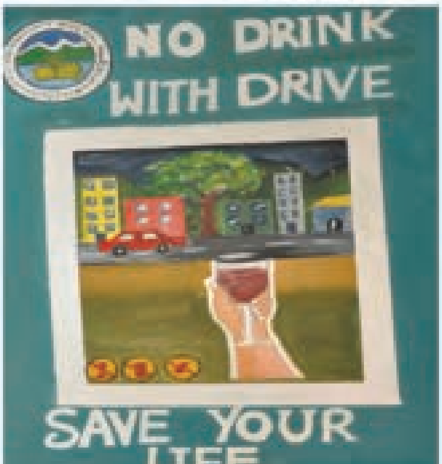

# VEHICLE LOCATION TRACKING DEVICE

- वर्ष 2019 के बाद से सभी सार्वजनिक वाहनों व National Permit वाले वाहनों के लिए VLTD अनिवार्य है।
- हिमाचल में 30000 वाहनों में VLTD लग चुका है, अत: उन सभी वाहनों की Active Tracking की जा सकती है।

# VEHICLE LOCATION TRACKING DEVICE (VLTD)

- सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं एवं बच्चों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के संचालन की कार्य प्रणाली।
- 1-1-2019 के बाद से सभी सार्वजनिक वाहनों में और National Permit वाले वाहनों के लिए VLTD अनिवार्य है!
- अभी तक हिमाचल में 30000 वाहनों में VLTD लग चुका है वह उनकी Active Tracking की जा सकती है!

## विशेषताएँ

- सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में एआईएस 140 जीपीएस के साथ आपातकालीन पैनिक बटन
- सार्वजनिक परिवहन वाहनों में हर एक सीट के पास आपातकालीन पैनिक बटन
- सभी परिवहन वाहनों की नियंत्रण कक्ष से 24X7 निगरानी
- वास्तविक समय चेतावनी निगरानी प्रणाली
- निकटतम तत्काल सहायता चेतावनी प्रणाली

## प्रर्वतन

- निर्धारित गति सीमा के उल्लंघन की निगरानी
- मार्ग विचलन की निगरानी
- दोषपूर्ण VTU & GPS डिवाइस की पहचान
- दुर्घटना स्थल पर मौजूद अन्य वाहनों की मैपिंग

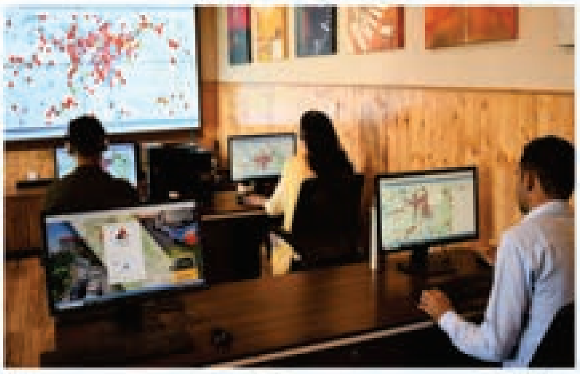

## पैनिक बटन कैसे कार्य करेगा

- आपातकालीन स्थिति में पैनिक बटन को 5 सेकंड तक दबाएं
- पैनिक बटन में रेड कलर का लाइट ( बल्ब ) ब्लिंक करेगा
- लाइट ( बलब ) ब्लिंक के साथ जीपीएस ईआरएसएस कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेगा
- और वहां से नजदीकी पुलिस सहायता केंद्र से सेवा प्रदान की जाएगी।

## क्या न करें

- जब तक कोई आपात स्थिति न हो, पैनिक बटन न दबाएं।
- कृप्या पैनिक बटन के साथ अनावश्यक छेड़-छाड़ अथवा प्रयोग न करें।

नि:शुल्क वितरण

मुद्रित: मुद्रण और स्टेशनरी विभाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171005

## हिमाचल प्रदेश

## —— हरित राज्य की ओर अग्रसर ——

Web: https://roadsafety.hp.gov.in/ | Email : larsc-tpt@hp.gov.in

नि:शुल्क वितरण